# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३१, १९६४/१८८६ (शक)

**Volume XXXI, 1964/1886 (Saka)**

[ २९ अप्रैल से ६ मई, १९६४/९ से १६ वैशाख, १८८६ (शक) ]

**April 29 to May 6, 1964/Vaishakha 9 to Vaisakha 16, 1886 (Saka)**

Preservation Unit
1-5-92
Fumigated
On 11.12.93
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६६ तक हैं)

**(Volume XXXI contains Nos. 61 to 66)**

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**

**NEW DELHI**

[[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

# विषय-सूची

अंक ६३—शुक्रवार, १ मई, १९६४/११ वैशाख, १८८६ (शक)


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ४८७३—९९ |
| | *तारांकित | |
| | प्रश्न संख्या | |
| १२७३ | फोम प्लास्टिक बनाने के कारखाने . . | ४८७३—७४ |
| १२७४ | हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल | ४८७४—७६ |
| १२७५ | राज्य व्यापार निगम का लाभ | ४८७७—८० |
| १२७७ | अगिया घास का तेल . | ४८८०—८१ |
| १२७८ | विद्युत् करघा मालिकों द्वारा सूत का खरीदा जाना . | ४८८१ |
| १२७९ | जिप्सम . . . . . | ४८८२—८५ |
| १२८० | अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों का समाप्त किया जाना | ४८८५—८८ |
| १२८२ | सॉफ्ट कोक के डिपो तथा 'डम्प' | ४८८८—९० |
| १२८३ | पोज़नान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला . . | ४८९०—९१ |
| १२८६-क | उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा . . | ४८९१—९३ |
| १२८७ | जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन . . | ४८९३—९४ |
| १२८८ | छपाई उद्योग . . . | ४८९४—९६ |
| १२९० | लौह अयस्क का निर्यात . . . | ४८९६—९७ |
| | अल्प सूचना | |
| | प्रश्न संख्या | |
| २२ | दिल्ली में सीमेन्ट की कमी . . . . | ४८९७—९९ |
| | प्रश्नों के लिखित उत्तर | ४९००—१९ |
| | तारांकित | |
| | प्रश्न संख्या | |
| १२७६ | रूरकेला इस्पात संयंत्र . . . . | ४९०० |
| १२८१ | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड . . . . | ४९००—०१ |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

**No. 63**— *Friday, May* 1, 1964/*Vaisakha* 11, 1886 (*Saka*)


| | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | 4873—99 |
| **Starred Questions Nos.* | | |
| 1273 | Foam Plastic Units | 4873-74 |
| 1274 | Heavy Electricals Ltd., Bhopal | 4874-76 |
| 1275 | S.T.C.'s Profit | 4877-80 |
| 1277 | Lemon Grass Oil | 4880-81 |
| 1278 | Yarn Purchase by Powerloom Owners | 4881 |
| 1279 | Gypsum | 4882-85 |
| 1280 | Abolition of Teahers' Constituencies | 4885-88 |
| 1282 | Soft Coke Depots and Dumps | 4888-90 |
| 1283 | Poznan International Trade Fair | 4890-91 |
| 1286-A | Foreign Exchange for Industry | 4891-93 |
| 1287 | International Trade Conference at Geneva | 4893-94 |
| 1288 | Printing Industry | 4894-96 |
| 1290 | Export of Iron Ore | 4896-97 |
| *Short Notice Questions No.* | | |
| 22 | Cement shortage in Delhi | 4897-99 |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS— | | 4900-19 |
| *Starred Questions Nos.* | | |
| 1276 | Rourkela Steel Plant | 4900 |
| 1281 | Hindustan Steel Ltd. | 4900-01 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **तारांकित** | | |
| **प्रश्न संख्या** | | |
| ११८५ | कोकिंग कोयला | ४६०१ |
| १२८६ | चाय बागानों को ऋण . . . . | ४६०१–०२ |
| १२६१ | ट्रकों का निर्माण . . . . . | ४६०२ |
| **अतारांकित** | | |
| **प्रश्न संख्या** | | |
| २७४७ | बेल्लारी जिले में खानों का यंत्रीकरण . . . | ४६०२–०३ |
| २७४८ | खानों का यंत्रीकरण . . . | ४६०३ |
| २७४६ | हिमाचल प्रदेश में मोटर साइकिलें और स्कूटर | ४६०३–०४ |
| २७५० | नेपाल से ऊन का आयात . . . | ४६०४ |
| २७५१ | लैटिन अमरीकी व्यापार समन्वय सम्मेलन | ४६०४ |
| २७५२ | नंगल में बिजली के भारी सामान का निर्माण | ४६०४ |
| २७५३ | औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' पदाधिकारी . | ४६०५ |
| २७५४ | पावरलूम केन्द्र . . | ४६०५ |
| २७५५ | दूसरा ढलाई-गढ़ाई कारखाना | ४६०५–०६ |
| २७५६ | दूसरा खनन मशीनरी कारखाना . | ४६०६ |
| २७५७ | "प्रोलिस्टर फाइबर' का निर्माण | ४६०६ |
| २७५८ | बैलग्रेड में प्रदर्शिनी . | ४६०७ |
| २७५६ | इस्पात और कच्चे लोहे की कमी | ४६०७ |
| २७६१ | ऊनी माल के लघु निर्माताओं की संस्था, अमृतसर . | ४६०८ |
| २७६२ | आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण . | ४६०८ |
| २७६३ | उड़ीसा में उद्योग . | ४६०८ |
| २७६४ | राज्यों में भारी उद्योग . . | ४६०६ |
| २७६५ | सिंघभूम में चूने के पत्थर के निक्षेप . . . | ४६०६ |
| २७६६ | विधि स्नातकों का अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज किया जाना . | ४६०६–१० |
| २७६७ | ट्रेक्टरों के फालतू पुर्जे . | ४६१० |
| २७६८ | पारादीप पत्तन में इस्पात संयंत्र . . | ४६१० |
| २७६६ | उड़ीसा में खनिज निक्षेप . . . | ४६१०–११ |
| २७७० | उड़ीसा में कच्चे लोहे की कमी . | ४६११ |
| २७७१ | उड़ीसा की सीमेंट की आवश्यकता . . . | ४६१२ |
| २७७२ | उड़ीसा के लिये स्टेनलैस स्टील . | ४६१२ |

| *Starred Questions Nos.* | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| 1285 | Coking Coal . . . . . | 4901 |
| 1289 | Loans to Tea Estates . . | 4901–02 |
| 1291 | Manufacture of Trucks . . | 4902 |

| *Unstarred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 2747 | Mechanisation of Mines in Bellary Distt. . . | 4902–03 |
| 2748 | Mechanisation of Mines . . . . . | 4903 |
| 2749 | Motor Cycles and Scooters in Himachal Pradesh | 4903–04 |
| 2750 | Import of Wool from Nepal . . . . . | 4904 |
| 2751 | Latin-American Trade Co-ordination Conference . | 4904 |
| 2752 | Manufacture of Heavy Electrical Equipment at Nangal | 4904 |
| 2753 | Industrial Management Pool Officers . | 4905 |
| 2754 | Powerloom Centres . . . | 4905 |
| 2755 | Second Foundry Forge Plant . . . | 4905–06 |
| 2756 | Second Mining Machinery Plant . . | 4906 |
| 2757 | Polyester Fibre Manufacture . . . . | 4906 |
| 2758 | Exhibition in Belgrade . . . . | 4907 |
| 2759 | Shortage of Steel and Pig Iron . . . . . | 4907 |
| 2761 | Small-scale Woollen Manufacturers' Association, Amritsar . . . . . | 4908 |
| 2762 | Income-tax appellate Tribunal . . | 4908 |
| 2763 | Industries in Orissa. . . . . | 4908 |
| 2764 | Heavy Industries in States . . . . | 4909 |
| 2765 | Lime Stone Deposits in Singhbhum . . | 4909 |
| 2766 | Enrolling of Law Graduates as Advocates . . . . | 4909–10 |
| 2767 | Spare Parts of Tractors . . . . . | 4910 |
| 2768 | Steel Plant at Paradip Port . . . . | 4910 |
| 2769 | Mineral Deposits in Orissa . | 4910–11 |
| 2770 | Shortage of Pig Iron in Orissa . . | 4911 |
| 2771 | Cement Requirement of Orissa . | 4912 |
| 2772 | Stainless Steel for Orissa . . . . | 4912 |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| २७७३ | सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी . | ४९१३ |
| २७७४ | नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड . . | ४९१३ |
| २७७५ | असम के खादी बुनकर . . | ४९१३ |
| २७७६ | सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी के लिये विदेशी मुद्रा | ४९१३–१४ |
| २७७७ | कोकिंग और नान-कोकिंग कोयला . | ४९१४ |
| २७७८ | बढ़िया किस्म के कोयले की खपत | ४९१५ |
| २७७९ | बेलाडिला में कच्चे लोहे की फैक्टरी | ४९१५–१६ |
| २७८० | कोरबा में कच्चे लोहे की फैक्टरी | ४९१६ |
| २७८१ | क्यानाइट खनन . | ४९१६–१७ |
| २७८२ | बिहार में क्यानाइट खनन | ४९१७ |
| २७८३ | खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग | ४९१७–१८ |
| २७८३-क | किरीबुरु खानें | ४९१८ |
| २७८३-ख | अमरीका से रूई का आयात . . . . | ४९१८ |
| २७८३-ग | दिल्ली सहकारी इंजीनियरिंग तथा तेल उत्पादन औद्योगिक संस्था लिमिटेड | ४९१९ |
| | लघु उद्योग निगम, उड़ीसा सम्बन्धी दिनांक ३ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२५ के उत्तर में शुद्धि | |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | | |
| | पुंछ के बिजलीघर में हुआ बम विस्फोट | ४९१९–२० |
| | श्री मोहन स्वरूप | ४९१९ |
| | श्री हाथी | ४९१९–२० |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** . | | ४९२०–२१ |
| **राज्य सभा से संदेश** . . | | ४९२२ |
| **याचिका का उपस्थापन** . | | ४९२२ |
| **सभा का कार्य और लोक-सभा के आगामी सत्र के बारे में घोषणा** . | | ४९२२–२५ |
| **बोकारो इस्पात परियोजना के बारे में वक्तव्य** | | |
| | श्री चि० सुब्रह्मण्यम | ४९२५–२६ |
| **नारियल-जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक** | | ४९२६–३२ |
| | विचार करने का प्रस्ताव . . . . | ४९२७ |
| | श्री मणियंगाडन | ४९२७ |

| *Unstarred Questions Nos.* | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| 2773 | Employees in Public Undertakings | 4913 |
| 2774 | National Instruments, Ltd. | 4913 |
| 2775 | Khadi Weavers of Assam | 4913 |
| 2776 | Foreign Exchange for Singareni Collieries Co. | 4913–14 |
| 2777 | Coking and Non-Coking Coal | 4914 |
| 2778 | Consumption of High Grade Coal | 4915 |
| 2779 | Pig Iron Factory at Bailadila | 4915–16 |
| 2780 | Pig Iron Factory at Korba | 4916 |
| 2781 | Kyanite Mining | 4916–17 |
| 2782 | Kyanite Mining in Bihar | 4917 |
| 2783 | Khadi and Village Industries Commission | 4917–18 |
| 2783-A | Kiri Buru Mines | 4918 |
| 2783-B | Import of Cotton from U.S.A. | 4918 |
| 2783-C | Delhi Co-operative Engineering and Oil Manufacturing Industrial Society, Ltd. | 4919 |

Correction of Answer to U.S.Q. No. 1825, dated 3-4-1964 re : Small scale Industries Corporation, Orissa. . . . . 4919

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Bomb explosion in Poonch Power House . . . 4919–20

Shri Mohan Swarup . . . 4919

Shri Hathi . . 4919–20

Papers laid on the Table . . . . . 4920–21

Messages from Rajya Sabha . . . . . 4922

Presentation of petition . . . . . 4922

Business of the House and announcement re: next session of Lok Sabha . . . . . 4922—25

Statement re: Bokaro Steel Project

Shri Subramaniyam . . . . . 4925–26

Coir Industry (Amendment) Bill . . . . . 4927—32

Motion to consider . . . . . 4927

Shri Maniyangadan . . . . . 4927

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री नी० श्रीकान्तन नायर . . . . | ४९२७–२८ |
| श्री ब० कु० दास . . . . | ४९२८ |
| श्री यशपाल सिंह . . . | ४९२९ |
| श्री स० चं० सामन्त . . | ४९२९ |
| डा० सरोजिनी महिषी . | ४९२९–३० |
| डा० मा० श्री० अणे | ४९३० |
| श्री मनुभाई शाह . | ४९३०–३१ |
| खण्ड २ से ७ और १ . . . . . | ४९३१ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . | ४९३२ |
| श्री मनुभाई शाह . . . . | ४९३२ |
| **करारोपण विधियां (वसूली की कार्यवाही को जारी रखना और वैध बनाना) विधेयक** | ४९३३–३७ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ४९३३ |
| श्री ति० त० कृष्णमाचारी . | ४९३३–३४ |
| श्री हेडा . . . | ४९३४–३५ |
| श्री अ० ना० विद्यालंकार . . . | ४९३५ |
| श्री ओंकार लाल बेरवा . . | ४९३५–३६ |
| खण्ड २ से ७ और १ . . . . | ४९३६ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . | ४९३७ |
| श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . | |
| **पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक** . | ४९३७–३८ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . . . | ४९३७ |
| डा० द० स० राजू . . . . . | ४९३७–३८ |
| श्री स० मो० बनर्जी . . . | ४९३८ |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति** | |
| तैंतालीसवां प्रतिवेदन-स्वीकृत . . . | ४९३८ |
| **आय में असमानता के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया** . . | ४९३९–४६ |
| श्री भी० प्र० यादव . . | ४९३९ |
| श्री सरजू पाण्डेय . . . | ४९३९ |

Coir Industry (Amendment) Bill—Contd.

| SUBJECT | PAGE |
|---|---|
| Shri N. Sreekantan Nair | 4927–28 |
| Shri B. K. Das | 4928 |
| Shri Yashpal Singh | 4929 |
| Shri S. C. Samanta | 4929 |
| Dr. Sarojini Mahishi | 4929–30 |
| Dr. M. S. Aney | 4930 |
| Shri Manubhai Shah | 4930–31 |
| Clauses 2 to 7 and 1 | 4931 |
| Motion to pass as amended | 4932 |
| Shri Manubhai Shah | 4932 |
| Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Bill | 4933—37 |
| Motion to consider | 4933 |
| Shri T. T. Krishnamachari | 4933–34 |
| Shri Heda | 4934–35 |
| Shri A. N. Vidyalankar | 4935 |
| Shri Onkar Lal Berwa | 4935–36 |
| Clauses 2 to 7 and 1 | 4936 |
| Motion to pass | 4937 |
| Shri T. T. Krishnamachari | 4937 |
| East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners' (Delhi Amendment) Bill. | 4937–38 |
| Motion to consider | 4937 |
| Shri D. S. Raju | 4937–38 |
| Shri S. M. Banerjee | 4938 |
| Committee on Private Members' Bills and Resolutions Forty-third Report—adopted. | 4938 |
| Resolution re: disparity in income—withdrawn | 4939—46 |
| Shri B. P. Yadava | 4939 |
| Shri Sarjoo Pande | 4939 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री दे० शि० पाटिल | ४६३६–४० |
| श्री यशपाल सिंह . . | ४६४० |
| श्री भागवत झा आजाद . . . | ४६४०–४१ |
| श्री ओंकार लाल बेरवा . | ४६४१ |
| श्री द्वा० ना० तिवारी . . | ४६४१ |
| श्री प्रिय गुप्त . . | ४६४१–४२ |
| श्री स० मो० बनर्जी . | ४६४२ |
| श्री मुथिया . . | ४६४२–४३ |
| श्री प्र० रं० चक्रवर्ती . . | ४६४३ |
| श्री प० ला० बारूपाल . . . | ४६४३ |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . . | ४६४३–४६ |

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में संकल्प

| | |
|---|---|
| श्री सिद्धेश्वर प्रसाद . | ४६४६–४८ |

Resolution re : Disparity in Income—withdrawn—Contd.

| SUBJECT | PAGE |
|---|---|
| Shri D. S. Patil | 4939–40 |
| Shri Yashpal Singh | 4940 |
| Shri Bhagwat Jha Azad | 4940–41 |
| Shri Onkar Lal Berwa | 4941 |
| Shri D. N. Tiwary | 4941 |
| Shri Priya Gupta | 4941–42 |
| Shri S. M. Banerjee | 4942 |
| Shri Muthiah | 4942–43 |
| Shri P. R. Chakravertty | 4943 |
| Shri P. L. Barupal | 4943 |
| Shrimati Tarkeshwari Sinha | 4943–46 |

Resolution re: National Policy in education

| | |
|---|---|
| Shri Siddheshwar Prasad | 4946–48 |

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

------

1 मई, 1964 । 11 वैशाख, 1886 (शक) का शुद्धिपत्र

-------

पृष्ठ 4908, नीचे से तेरहवीं पंक्ति, "(श्री विबुन्द्र मिश्र)" स्थान पर "(श्री विबुधेन्द्र मिश्र)" पढ़िये ।

4918, तारांकित प्रश्न संख्या 2783-ख, सदस्य का नाम "ह0 च0 सोय" के स्थान पर "श्री दे0 जी0 नायक" पढ़िये ।

# लोक-सभा

# LOK SABHA

**शुक्रवार, १ मई, १९६४/११ वैशाख, १८८६ (शक)**

*Friday, May* 1, 1964/*Vaisakha* 11, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### फोम प्लास्टिक बनाने के कारखाने

*१२७३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने फोम प्लास्टिक कारखाने स्थापित किये गये हैं या स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या यह देश की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे ; और

(ग) १९६३-६४ में कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) लघु क्षेत्र में चालू एक कारखाने सहित २ कारखानों में उत्पादन चालू है तथा एक और कारखाना स्थापित किया जा रहा है। प्लास्टिक फोम के लिये कोई पृथक् लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है। लगभग ५,५१,००० रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं।

**Shri Yashpal Singh :** Why has there not been any increase in the demand for plastic foam in India ?

**श्री कानूनगो** : इसका इस समय अधिकांशतया बिस्तर तथा गद्दे के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा अन्ततोगत्वा पैकिंग के लिये भी इसका प्रयोग होने लगेगा। मांग में संतोषजनक रूप से वृद्धि हो रही है।

**Shri Yashpal Singh :** Have Government obtained any foreign assistance in the matter in respect of any particular mechanism ?

**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। परन्तु इसके उत्पादन को निम्नतम पूर्वता दी गई है।

**श्री स० मो बनर्जी** : जिन समवायों को आयात लाइसेंस दिया गया है, उनके नाम क्या हैं ?

**श्री कानूनगो** : यूफोम (Eufoam) प्राइवेट लिमिटेड।

**Shri Bade :** Is it a fact that in spite of the existence of these companies, a large quantity of goods made of plastic foam is imported from abroad. If so, the value thereof ?

**श्री कानूनगो** : आयात के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु देश में अभी भी इसका पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस उत्तर को देखते हुए कि अन्ततोगत्वा प्लास्टिक फोम का पैकिंग के लिये प्रयोग किया जायेगा और यह जानते हुए कि इमारती लकड़ी के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि फोम प्लास्टिक का पैकिंग के लिये किस मात्रा तक प्रयोग किया जाता है ?

**श्री कानूनगो** : यह इमारती लकड़ी का स्थान नहीं लेगा। यह तो कुछ अंश तक गद्दों के रूप में प्रयोग में आयेगा।

**श्री प० ना० कयाल** : जिस समवाय को यह आयात लाइसेंस दिया गया है, उसका रजिस्टर्ड आफिस कहां पर है ?

**श्री कानूनगो** : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ?

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्पादन से मांग की पूर्ति नहीं हो रही है। तो क्या किन्हीं नये समवायों ने लाइसेंस के लिये प्रार्थना की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री कानूनगो** : इसको निम्नतम पूर्वता प्राप्त है और हम इसको बढ़ावा नहीं देते हैं।

**Shri Braj Bihari Mehrotra :** Will Government give protection to indigenous plastic goods instead of importing them from outside so that their production in the country may increase ?

**श्री काननगो** : इसको प्राकृतिक रबड़, कृत्रिम रबड़ तथा अन्य कच्चे माल से तैयार किया जा सकता है। संरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल**

\+

*१२७४. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**डा० पू० ना० खां :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में उत्पादन की कमी की प्रारंभिक कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं ;

(ख) क्या कच्चे माल की पहले से व्यवस्था कर दी गई है और यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये; और

(ग) क्या भारी गढ़ी और ढली वस्तुओं की अपेक्षित मात्रा में आयात के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और यदि हां, तो किन देशों को आर्डर दिये गये हैं ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) इनको शनैः शनैः दूर किया जा रहा है ।

(ख) ३ महीने से लेकर १२ महीने तक के लिये कच्चे माल के स्टाक का संचय कर लिया गया है । तथापि, यह क्रिया चलती ही रहेगी जो कि उत्पादन की विविधरूपता तथा विस्तार पर निर्भर करेगी ।

(ग) हाईड्रॉलिक टर्बाइन के निर्माण के लिये आवश्यक भारी ढली और गढ़ी वस्तुओं के आयात के लिये ब्रिटेन को आर्डर दे दिये गये हैं । स्टीम टर्बाइन के निर्माण के लिये ढली और गढ़ी वस्तुओं के संभरण के लिये विभिन्न संभरणकर्ता देशों से टेंडर आमंत्रित किये जायेंगे ।

**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री जी ने बताया कि कमियों को धीरे धीरे दूर कर दिया जायेगा । इनको कब तक दूर किया जायेगा और क्या रांची हेवी इंजिनियरिंग कार्पोरेशन समस्त ढली और गढ़ी वस्तुओं का संभरण कर सकेगी ।

**इस्पात, खान और भारीइंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम )** : मेरे विचार से यह कार्पोरेशन इनका पूरी तरह से संभरण नहीं कर सकेगी । हमारा विचार हैवी इलेक्ट्रिकल्स को संभरण करने के लिये गढ़ी तथा ढली वस्तुयें तैयार करने वाला एक पृथक कारखाना स्थापित करने का है ।

**श्री सुबोध हंसदा** : ढली तथा गढ़ी वस्तुओं के आयात के लिये जो ब्रिटेन को आर्डर दिये गये हैं, उनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम ब्रिटेन से यह पता लगा रहे हैं कि कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । वित्त मंत्रालय तीन वर्षों के लिये एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने तथा इसके लिये पहिले से ही व्यवस्था करने के लिये तैयार हो गया है ।

**श्री स० चं० सामन्त** : क्या भारी गढ़ी तथा ढली वस्तुओं का, जिनका कि इस समय इतनी अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है, देश में ही निर्माण करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस समय क्षमता सीमित है तथा जितनी भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी, उसके अनुसार हम वर्तमान कारखाने में इनमें से कुछ गढ़ी तथा ढली वस्तुओं का निर्माण कर सकेंगे । परन्तु जैसा मैंने पहिले बताया, एक पृथक कारखाने का होना नितान्त आवश्यक है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान आज के "स्टेट्समैन" तथा "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित इस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि उत्पादन पूरी गति से नहीं चालू हुआ है तथा श्रमिकों की ओर से गड़बड़ी की आशंका है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा वहां सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि सभा को मालूम है, कारखाने में पहिले हड़ताल हुई और उसके बाद काम बिल्कुल बंद हो गया था। कारखाना पुनः चालू हो गया है और अब इसके सब अनुभाग काम कर रहे हैं। निस्संदेह सामान्य अवस्था आने में समय लगेगा। परन्तु मेरी अपनी जानकारी यह है कि वहां कोई नई गड़बड़ पैदा होने वाली नहीं है। दूसरी बात है कि माननीय सदस्य को इसके बारे में पूर्व सूचना हो ..... **(अन्तर्वाधा)**।

**अध्यक्ष महोदय** : समाचार पत्रों में इस आशय की एक खबर थी। मुझे एक सूचना भी प्राप्त हुई है और प्रत्येक माननीय सदस्य के पास वही जानकारी है।

**श्री ब० कु० दास** : क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है कि कारखाने के इस अवधि के दौरान बंद रहने से उत्पादन की कितनी हानि हुई है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी, हां। मैं इसका जवाब दे चुका हूं। लगभग १ करोड़ रुपये की हानि हुई है।

**श्रीमती सावित्री निगम** : हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अन्य समवायों के कितने कर्मचारियों ने भारी गढ़ी तथा ढली वस्तुओं के डिज़ाइन आदि के बारे में विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे कब से बेकार बैठे हुए हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे खेद है कि मेरे पास इस बार में जानकारी नहीं है। परन्तु जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण की अवधि के दौरान खाली नहीं बैठा है।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : हम इस समय विदेशों से कितने मूल्य का कच्चा माल तथा अन्य संघटक आयात कर रहे हैं और हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि मैंने बताया कि गढ़ी तथा ढली वस्तुओं के निर्माण के लिये हम एक कारखाना स्थापित करने की सोच रहे हैं। इस कारखाने में उत्पादन चालू हो जाने पर हम अपनी समस्त आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रयोजना के लिये हम विदेशों से कितने मूल्य का कच्चा माल आयात करते हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे खेद है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान आगे प्रकाशित एक खबर की ओर गया है कि दीवारों पर पोस्टर लगाये गये हैं जिनमें कहा गया है कि यदि पकड़े गये नेताओं को मुक्त नहीं किया गया तो **शिव तांडव** किया जायेगा अर्थात समूचे उत्पादन को नष्ट कर दिया जायेगा ? इस कारखाने की सुरक्षा के लिये सरकार क्या पूर्वोपाय करने वाली है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : **शिव तांडव** वाली बात मेरे ध्यान में लाई गयी थी तथा मेरे विचार से कहीं पर लगाये गये ऐसे पोस्टरों से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

**राज्य व्यापार निगम का लाभ**

+

*१२७५. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री उ० म० त्रिवेदी :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :** }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को किसी वस्तु विशेष पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत तक लाभ कमाने की अनुमति है ;

(ख) क्या कुछ मामलों मे निगम ने १४० प्रतिशत तक लाभ कमया है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवम धातु व्यापार निगम द्वारा सामान्यतया जिन वस्तुओं का व्यापार होता है उन पर भिन्न भिन्न वस्तुओं के अनुसार मुनाफे सहित वितरण सम्बन्धी व्यय तथा अन्य प्रासंगिक प्रभारों को पूरा करने के लिये वितरण सम्बन्धी लाभ की मात्रा $^1/_2$ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक है जो कि निर्यात की वस्तुओं पर केवल ०·५ प्रतिशत से लेकर ३ प्रतिशत तक है । निर्यात की कुछ वस्तुओं पर तो मुनाफे की बात तो दूर रही निगमों को हानि तक उठानी पड़ती है ।

तथापि, दुर्लभ वस्तुओं के मामले में ध्येय यह है कि इनके आयात तथा वितरण का काम स्वयं निगम करें ताकि बाजार में प्रचलित तथा तयगत मूल्यों के बीच के अन्तर को समाप्त किया जा सके । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह अन्तर कुछ आयातकों की जेब में चला जायेगा और उपभोक्ताओं को कोई भी लाभ न पहुंचेगा । ऐसे मामलों तक में भी राज्य व्यापार निगम अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निश्चित किये गये मूल्य आयात की गई इन दुर्लभ वस्तुओं के बाजार मूल्यों से कुछ कम ही हैं ।

उपरोक्त नीति को दर्शाने की दृष्टि से कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २८३१/६४ ।]**

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह सभा पटल पर रखे गये विवरण में भी दिया हुआ है ?

**श्री मनुभाई शाह :** विशिष्ट उदाहरण दिये गये हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है, क्या वह भी विवरण में है ?

**श्री मनुभाई शाह :** यह पहिले ही पटल पर रख दिया गया है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या निर्यात तथा आयात की वस्तुओं, विशेषकर आयात की वस्तुओं, पर राज्य व्यापार निगम द्वारा लिये जाने वाले मुनाफे का समय समय पर

पुनरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या यह केवल इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है अथवा इस बारे में चली आ रही पूर्व रीतियों के आधार पर ?

**श्री मनुभाई शाह :** आधार वह है जो कि मैंने बताया है और जैसा कि निर्धारित किया गया है। यह एक विस्तृत नीति सम्बन्धी वक्तव्य है जिसको मैंने अनेक बार सभा में दोहराया है । स्थिति विवरण में कुल मुनाफा भी दिखाया गया है । हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जहां तक अत्यावश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, मुनाफा कम से कम लिया जाना चाहिये जैसा कि विवरण में दिया गया है । जहां तक कुछ दुर्लभ वस्तुओं का सम्बन्ध है, अन्तर को पूरा कर दिया जाता है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** लौंग, कपूर, तथा सुपारी, जैसी कुछ वस्तुओं पर राज्य व्यापार निगम बहुत अधिक मुनाफा लेता है । इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तुओं पर भी जिनका कि स्वयं निगम आयात करता है यह निगम बहुत अधिक लाभ की मात्रा लेता है । निगम द्वारा स्वयं आयात की गई ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं ?

**श्री मनुभाई शाहः** मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह विवरण को पढ़ने का कष्ट करें.....

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है ।

**श्री मनुभाई शाह :** तो उन्हें पता चलेगा कि उर्वरकों पर यह १/२ प्रतिशत तथा तांबे और जस्ते पर २, २ प्रतिशत है । इससे उन्हें यह मालूम हो जायेगा कि उनकी धारणायें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

**Shri Kashi Ram Gupta :** The hon. Minister stated that in respect of those commodities whose market prices are higher, the prices are increased with a view to make up the gap. Will it not result in further increase in the prices of such commodities ? If so, what steps are being taken by Government to check this ?

**Shri Manubhai Shah :** This complaint of the hon. Member relates only to imported commodities and not to general price structure.

**Shri Kashi Ram Gupta :** Yes, Sir.

**Shri Manubhai Shah :** I may tell you the position about betelnut. The production of betelnut in the country is 40,000 tons and the traders charge Rs. 195 per 20 Kgs. 5,000 tons of betelnuts are imported from abroad which is released by the State Trading Corporation at Rs. 112 per 20 Kgs. Thus it will be seen that this price is less than that of indigenous commodity.

**श्री रंगा :** क्या हम यह समझें कि राज्य व्यापार निगम को एक प्रकार से उसी मूल्य नीति का पालन करने दिया जाता है जो कि सामान्य व्यापारी करते हैं और अतः यदि मनाफाखोरी को रोकने के लिये अधिक मूल्य लिया जाता है, तो क्या वह न्यायसंगत है ? क्या सुपारी को अत्यावश्यक वस्तु नहीं समझा जाता है जिसका मामान्य जनता प्रयोग करती है और इसीलिये इस पर १४० अथवा १०० प्रतिशत तक लाभ भी न्यायसंगत समझा जाता है ?

**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य द्वारा कही गई ये बातें गलत हैं। प्रथम तो यह कहना गलत है कि राज्य व्यापार निगम मुनाफाखोरी कर रहा है। मैंने एक मिसाल दी कि देशीय सुपारी के लिये व्यापारी १९५ रु० प्रति २० किलोग्राम लेते हैं जिसका देश मे उत्पादन ४०,००० टन है। राज्य व्यापार निगम आयात की गई सुपारी का ११२ रु० प्रति २० किलोग्राम के हिसाब से वितरण करता है। अतः यह देखा जा सकता है कि निगम द्वारा व्यापार किये जाने से उपभोक्ताओं को लाभ है। मेरे विचार से सभा यह नहीं चाहती कि बिचोलियों को लाभ पहुंचे, उपभोक्ताओं को नहीं।

**श्री रंगा :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सस्ती कीमत पर आयात किये जाने से स्थानीय मूल्य नहीं घटेगा? वह इस चीज को क्यों रोक रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि वह लाभ वितरक ले लेंगे।

**श्री रंगा :** यह कैसे हो सकता है? संरक्षक शुल्क लगाकर सस्ती कीमत पर की जाने वाली आयात को क्यों रोका जाता है? इस प्रकार की आयात से स्थानीय मूल्य अवश्य गिर जायेंगे। दूसरी ओर हो यह रहा है कि वह आयात की गई वस्तुओं की इतनी अधिक कीमत ले रहे हैं कि स्थानीय मूल्य कभी भी नहीं घटते हैं। वे मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं।

**श्री बड़े :** यह समझा जाता है कि उर्वरकों का आयात राज्य व्यापार निगम करता है जो कि 'न लाभ, न हानि' के सिद्धान्त के अनुसार इनका वितरण करता है। परन्तु लोक लेखा समिति ने आक्षेप लगाया है कि निगम ५० से ८० प्रतिशत तक मुनाफा कमा रहा है। उर्वरकों के बारे में मंत्री जी को क्या कुछ कहना है?

**श्री मनुभाई शाह :** मैं श्री रंगा द्वारा कही गई बात के बारे में स्थिति स्पष्ट करूंगा। यह सोचना पूर्णतया गलत है कि थोड़े से आयात के द्वारा राज्य व्यापार निगम मूल्य पर नियंत्रण कर सकता है। यह नहीं किया जा सकता कि सुपारी का राशन करके १ औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत की ४५ करोड़ जनता को इसका वितरण किया जाय। इसका मूल्य नियंत्रण नहीं किया जा सकता और जब निगम इसका व्यापार स्वयं नहीं करता था तब आयात करने वाले आयात की गई वस्तुओं के लिये यही मूल्य लेते थे। अतः सभा इस बात को मानेगी कि समूचा मुनाफा बिचौलिये खा जाते थे। स्वयं व्यापार करने से हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अच्छी किस्म की वस्तुयें कम मूल्य पर खरीदने और जनता को उसका लाभ पहुंचाने में सहायता मिली है। इससे बिचौलिये को मुनाफा लेने का मौका नहीं मिलता है और इसको कम लाभ पर बेचा जाता है।

**श्री बड़े :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री मनुभाई शाह :** श्री बड़े के प्रश्न का उत्तर भी इसमें आ गया है। (**अन्तर्बाधा**)

**अध्यक्ष महोदय :** पहिले श्री रंगा के प्रश्न को पूरा होने दीजये। क्या मैं अगले प्रश्न को ले सकता हूं?

**श्री रंगा :** जी, हां।

**श्री बड़े :** क्या निगम उर्वरकों पर कोई मुनाफा कमा रहा है अथवा नहीं?

**श्री मनुभाई शाह :** उर्वरकों पर निगम द्वारा लिया जाने वाला कुल वितरण प्रभार ½ प्रतिशत है जिसमें माल का देना, भंडार में रखना, गोदाम का प्रबन्ध करना शामिल है। क्या कोई व्यक्ति प्रतिशत से कम प्रभार में व्यापार कर सकता है ?

**डा० सरोजिनी महिषी :** १९६३-६४ के दौरान किसी दुर्लभ वस्तु पर निगम ने अधिक से अधिक कितना लाभ कमाया है ?

**श्री मनुभाई शाह :** वह विवरण में दिया गया है। लाभों के अन्तर को पूरा करने के लिये सब से अधिक लाभ सुपारी पर लिया गया है जो कि तटागत मुल्य का लगभग ३३ प्रतिशत है।

**श्री फिरोडिया :** क्या माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि क्या आयात करते समय उपभोक्ता सहकारी शाखायें इस तरीके को अपना सकती हैं ?

**श्री मनुभाई शाह :** वे ऐसा नहीं कर रही हैं। हमने उन्हें लाइसेंस दिये हैं और जिस सीमा तक वे इस दिशा में आगे आ रही हैं, हम उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं।

**Shri M. L. Dwivedi :** The hon. Minister stated that the State Trading Corporation Charges Rs. 112 per 20 Kgs. in respect of betelnut and in this there is a margin of 33 per cent. As regards local produce, the traders charge Rs. 195 per 20 Kgs. May I know what steps are being taken by the Government to reduce this margin as also the price charged for locally produced article ?

**Shri Manubhai Shah :** There is no control on local produce.

**Shri M. L. Dwivedi :** You charge 33 per cent.

**Shri Manubhai Shah :** The landed cost is Rs. 84 and the distribution charge comes to Rs. 28. Thus the total comes to less than Rs. 195. Moreover the profit goes to Government and ultimately to the public. Should this profit go to a private person rather than to Government.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Does the policy to be adopted by the State Trading Corporation is formulated by the Corporation itself or by the Government ?

**Shri Manubhai Shah :** The Government formulates it.

**श्री कपूर सिंह :** क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि निगम को गत वर्ष के दौरान किन वस्तुओं के मामले में काफी हानि उठानी पड़ी है ?

**श्री मनुभाई शाह :** नीबू घास, मूंगफली का तेल, तम्बाकू और पोटाशियम डाइक्रोमेट। यह विवरण में भी दिया गया है।

## अगिया घास का तेल

\+
*१२७७. { श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में राज्य व्यापार निगम के गोदामों में ८०० टन अगिया घास का तेल इकट्ठा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अगिया घास के तेल का निर्यात बढाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). मूल्य स्थैर्य के उपाय के रूप में राज्य व्यापार निगम द्वारा लगभग ९६० मीट्रिक टन अगिया घास का तेल खरीदा गया था। इस मात्रा का ९० प्रतिशत से अधिक भाग विदेशी खरीदारों को पहले ही बेचा जा चुका है। शेष थोड़ी सी मात्रा के भी शीघ्र ही बेच दिये जाने की आशा है।

**श्री वारियर :** क्या राज्य व्यापार निगम केवल बिचोलियों के द्वारा ही खरीद रहा है अथवा सीधे उत्पादकों से ?

**श्री मनुभाई शाह :** सीधे उत्पादकों से।

**श्री वारियर :** क्या यह सच है कि निगम के क्षेत्र में बहुत थोड़े ही क्रय डिपो हैं और ये डिपो उन स्थानों से बहुत दूर हैं जहां कि छोटे उत्पादक उत्पादन करते हैं ?

**श्री मनुभाई शाह:** आप इस बात से भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि १,१०० टन में से, निगम ने ९८० टन खरीदा है।

**विद्युत् करघा मालिकों द्वारा सूत का खरीदा जाना**

\+
*१२७८. **श्री जेंधे :**
**श्री लोनीकर :**
**श्री मा० ल० जांधव :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'साइज्ड बीम्स' (करघे का तीर) अथवा वैंपट पिन्स' (अटेरन) पर सूत का क्रय करने के लिये विद्युत् करघा मालिकों को वस्त्र आयुक्त की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है ;

(ख) क्या इस औपचारिकता के कारण विद्युत् करघा मालिकों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मैं यह और बता दूं कि विक्रय पर प्रतिबन्ध है।

**श्री जेधे :** क्या विद्युत करघा मालिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

**श्री कानूनगो :** जी, नहीं। हमें तथा वस्त्र आयुक्त को कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

## जिप्सम

*१२७६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जिप्सम किन विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होता है ;

(ख) क्या सरकार उन क्षेत्रों में, जिनमें जिप्सम मिलता है, कोई उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार को ऐसे कुछ उद्योगों को, जो जिप्सम वाले क्षेत्रों से काफी दूर पर स्थित हैं, जिप्सम का संभरण करने में कोई कठिनाई अनुभव हुई है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

### विवरण

(क) जिप्सम मुख्यतया उर्वरक तथा सीमेंट के तैयार करने के प्रयोग में आता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग में इसका प्लास्टर ऑफ पैरिस के तैयार करने में प्रयोग होता है जिसके ढांचे बनाये जाते हैं ।

(ख) जी, नहीं । इस समय नहीं ।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने को, जो कि उन स्थानों से बहुत काफी दूरी पर हैं जहां से जिप्सम प्राप्त होता है, राजस्थान से जिप्सम प्राप्त करने के मामले में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह कठिनाई इसकी किस्म तथा इसके अपर्याप्त संभरण दोनों के बारे में है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस बात को देखते हुए कि सभा पटल पर रखे गये विवरण में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान से मिलने वाले जिप्सम की किस्म और अपर्याप्त प्राप्ति के बारे में कठिनाई अनुभव की जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया है अथवा उसका विचार करने का इरादा क्यों नहीं है कि एक उर्वरक कारखाने को उन स्थानों पर स्थापित किया जाय जहां जिप्सम पाया जाता है ?

**श्री कानूनगो** : इस समय उपलब्ध किसम अपेक्षित किस्म का नहीं है । अतः वर्तमान सिंदरी कारखाने को जिप्सम की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं हो रही है ।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मेरा प्रश्न यह था कि एक कारखाना ऐसे स्थानों पर स्थापित न करने का क्या कारण है जहां जिप्सम पाया जाता है ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि ऐसा इसलिये है कि जिप्सम अपेक्षित किस्म का नहीं है ।

**श्री कानूनगो** : वह उचित किस्म का नहीं है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यदि मुझे विस्तार से बताने की अनुमति दी जाये तो वस्तुतः बात यह है कि विवरण में दिया गया है कि जिप्सम की किस्म और अपर्याप्त प्राप्ति के बारे में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । अब इसका कारण यह बताया गया है कि यह किस्म अच्छी न होने

के कारण है। क्या राजस्थान के अलावा कहीं और से भी प्राप्त करके किसी और किस्म का जिप्सम भारी मात्रा में इस कारखाने में प्रयोग में लाया जाता है ?

**श्री कानूनगो** : पहिले उन्हें अच्छी किस्म का जिप्सम प्राप्त होता था परन्तु अब किसी न किसी कारणवश इसकी किस्म गिर गई है। अतः उर्वरक निगम से कहा गया है कि वह राजस्थान में लगभग उन ६ स्थानों से जिप्सम प्राप्त करने की कोशिश करें जहां से उन्हें अच्छी किस्म का जिप्सम प्राप्त होने की संभावना है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि केवल इसी क्षेत्र में ही जिप्सम पाया जाता हैं। देश के अन्य किसी भाग में यह उपलब्ध नहीं है। यदि इसका उर्वरक कारखाने अथवा अन्य किसी कारखाने में उपयोग किया जाना है, तो फिर इसकी किस्म चाहे कैसी भी हो, वह कारखाना वहां पर क्यों नहीं स्थापित किया जाय जहां कि जिप्सम पाया जाता है ?

**श्री कानूनगो** : जिप्सम तो सारे देश में भारी मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु वह अच्छी किस्म का नहीं है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : वह प्रश्न को घुमाने की कोशिश कर रहेहैं। वह कहते हैं कि जिप्सम सारे देश में उपलब्ध है। इसी के साथ साथ वह यह भी मानते हैं कि सिंदरी कारखाने में जो जिप्सम प्रयोग में आता है वह राजस्थान से प्राप्त होता है। इस प्रकार के उत्तर देकर वह सभा को भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस बात के साथ साथ कि सिंदरी में प्रयोग में लाया जाने वाला जिप्सम राजस्थान का है, अन्य स्थान भी ऐसे हो सकते हैं जहां कि जिप्सम पाया जा सकता है। अतः, दोनों उत्तरों में कोई भिन्नता नहीं है। उन्हें अधीर नहीं होना चाहिये।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : सिंदरी कारखाने के लिये जिप्सम की बहुत अधिक मात्रा राजस्थान से प्राप्त होती है। उस समय अथवा बाद में इस बात पर विचार क्यों नहीं किया गया कि एक कारखाने को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाय जहां पर जिप्सम पाया जाता हो ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात कि सिंदरी कारखाने को राजस्थान में बनाया जाना चाहिये था इस समय नहीं उठाई जा सकती।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि जम्मू और काश्मीर में अच्छी किस्म के जिप्सम के भारी निक्षेप हैं ? कुछ निक्षेप जम्मू में और कुछ काश्मीर में हैं। देश के विभिन्न उर्वरक अथवा अन्य कारखानों को इस जिप्सम का संभरण करने अथवा एक उर्वरक या अन्य कारखाना वहां स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री कानूनगो** : संभवतया, वहां पर जिप्सम पाया जाता है और इस पर ध्यान दिया गया है। परन्तु किस्म की जांच नहीं की गई है। फिर भी सिंदरी अथवा अन्य किसी कारखाने को इसका संभरण करने के लिये काश्मीर से इसको ढोकर लाना लाभप्रद नहीं है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री जी ने अभी अभी बताया कि जिप्सम सारे देश में उपलब्ध है। सिंदरी कारखाना राजस्थान से बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित है। यदि जिप्सम सारे देश में उपलब्ध है, तो फिर इसका क्या कारण है कि राजस्थान से इसको लाने के स्थान पर, जिस पर हमें

इतना अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, हम इसको किसी समीप के स्थान से क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं ?

**श्री कानूनगो** : जिप्सम भारत में राजस्थान, मद्रास, जम्मु और काश्मीर, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जब सिंदरी कारखाने का निर्माण किया गया था, तो उस समय यह राजस्थान के जिप्सम पर ही आधारित था क्योंकि उस समय राजस्थान ही सब से निकट का स्थान था। अब भी मेरा यह विचार है कि मद्रास इससे ज्यादा समीप नहीं है।

**Shri Tan Singh :** The hon. Minister just stated that owing to poor quality, difficulty is being experienced there. Is it a fact that while the cost of the gypsum is Rs. 5 per ton, it comes to Rs. 45 per ton in the Sindri factory after including the expenditure incurred on its haulage from Rajasthan ?

**श्री कानूनगो** : मेरे पास भाड़े के आंकड़े नहीं हैं।

**श्री रंगा** : खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये इस वचन को देखते हुए कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक एक उर्वरक कारखाना अवश्य स्थापित किया जायेगा, क्या सरकार या इस मंत्रालय अथवा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने इस दिशा में गैर-सरकारी उद्योग को कोई बढ़ावा देने अथवा स्वयं यह कार्य करने के लिये कोई प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी उपक्रम से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और लाइसेंस दिये गये हैं ?

**श्री कानूनगो** : इस सभा में यह बताया जा चुका है कि दिये गये अधिकांश लाइसेंसों का लाभ नहीं उठाया गया।

**श्री रंगा** : सरकार ने स्वयं क्या किया ? श्रीमन्, यदि उनके पास जानकारी नहीं है, तो उन्हें कहना चाहिये कि उनके पास जानकारी नहीं है। प्रश्न के एक अनुकूल भाग को लेकर वह यह क्यों सोचते हैं कि उन्होंने प्रश्न का पूरा उत्तर दे दिया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

**श्री कानूनगो** : प्रश्न को भारी उद्योग मंत्रालय को सम्बोधित किया जाय जोकि इस विषय से सम्बन्धित है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** The hon. Minister just stated that the gypsum available from Rajasthan was of poor quality. I would like to tell him that the gypsum being used in the Cement Factory of Sawai Madhopur is that of Rajasthan. Is this gypsum being used there in spite of its being of a poor quality and if so has this factory been producing cement of a poor quality ?

**श्री कानूनगो** : सीमेंट के बनाने में निम्न कोटि का जिप्सम प्रयोग में लाया जा सकता है परन्तु उर्वरक तथा रासायनिक कारखानों में प्रयोग के लिये यह उच्च कोटि का होना चाहिये।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विद्यमान जिप्सम के कुल निक्षेपों का कितना अंश राजस्थान में पाया जाता है और कितना शेष देश के अन्य भागों में ? देश में उपलब्ध जिप्सम की खराब किस्म को देखते हुए, क्या ऐसा भी विचार है कि एक ऐसा कारखाना स्थापित किया जाय जो कि जिप्सम के अलावा किसी अन्य चीज पर आधारित हो ?

**श्री कानूनगो** : निम्न कोटि के जिप्सम के परिष्करण के बारे में चर्चा चल रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह यह भी जानना चाहते हैं कि सारे देश में उत्पादित जिप्सम की कुल मात्रा में से कितनी मात्रा राजस्थान में पायी जाती है ।

**श्री कानूनगो** : इस समय, सब से अधिक राजस्थान में पाया जाता है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : उपयुक्त उत्तर प्राप्त करने के लिये हमें कितनी कुछ पूछताछ करनी पड़ती है ।

**Shri Braj Bihari Mehrotra :** In view of the fact that gypsum is found in Gujrat, Rajasthan and Kashmir, is it proposed to set up a factory near these places as it involves much expenditure in transporting it to Sindri factory ?

**श्री कानूनगो** : प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाय ।

**अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों का समाप्त किया जाना**

\+

*१२८०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री घुलेश्वर मीना :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **विधि** मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र )** :(क) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : यदि अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को इसलिये समाप्त किया जा रहा है कि ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का ही दूसरा रूप हैं क्योंकि अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये स्नातक भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षा अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को क्यों समाप्त किया जा रहा है ?

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जैसा मैंने पहिले एक अवसर पर बताया था, केवल चुनाव आयोग ने ही नहीं अपितु आठ राज्यों में से, जहां पर विधान परिषदें हैं, ७ राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाय । माननीय सदस्य द्वारा दिया गया केवल एक ही कारण नहीं, उन्होंने इसके लिये अनेक कारण दिये हैं । ऐसा केवल इसीलिये नहीं किया जा रहा है कि यह एक अतिछादल है क्योंकि स्नातकों के नाते उनका भी प्रतिनिधित्व रहता है, अपितु

इसलिये भी ऐसा किया जा रहा है कि वकीलों, डाक्टरों, इंजीनियरों तथा वाणिज्यिकों जैसे पृथक वर्ग के लिये किसी पृथक कार्यकारी प्रतिनिधान की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त इससे अध्यापकों में राजनीति की भावना पैदा हो सकती है, जिससे शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा स्तर को हानि पहुंचती है। राज्य सरकारों को इस बात पर मुख्य रूप से आपत्ति थी। राज्य सरकारों का यह भी कहना था कि इससे भेदभाव को जन्म मिलता है क्योंकि अनुच्छेद १९१ के अन्तर्गत केवल गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापक ही इन स्थानों के लिये चुनाव लड़ सकते हैं, सरकारी स्कूलों के अध्यापक नहीं। अतः, इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए ही, चुनाव आयोग तथा राज्यों ने इस बारे में सुझाव दिया है।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : जैसा कि मैसूर राज्य अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों का जारी रखना चाहता है, क्या उन राज्यों में, जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है, अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करना उचित होगा ?

**श्री विभूधेन्द्र मिश्र** : नीति एक जैसी होनी चाहिये। जैसा मैंने बताया, आठ में से ७ राज्यों ने इन निर्वाचन क्षेत्रों को जारी रखने पर आपत्ति की है।

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्था संघ सहित अध्यापकों के समस्त प्रतिनिधायी संगठनों ने सरकार द्वारा उठाये जाने वाले इस कदम का विरोध किया है ? यदि हां, तो अध्यापकों के इस विरोध पर, जिसके कारण उनमें बहुत असंतोष है, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मुझे इसका पता नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि समस्त अध्यापक संगठन इसके विरुद्ध है। हां, मुझे इतना पता है कि अध्यापकों के अनेक संगठनों तथा माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के संघ ने शिक्षा मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त न किया जाय।

**श्री धुलेश्वर मीना** : यदि अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मिला दिया गया, तो क्या अध्यापकगण विधान परिषदों में प्रतिनिधान के लाभ से वंचित नहीं हो जायेंगे ?

**श्री विभूधेन्द्र मिश्र**: उनको स्नातकों के रूप में प्रतिनिधित्व मिल जायेगा क्योंकि स्नातकों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसा मैंने बताया, किसी अन्य वर्ग को कार्यकारी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय करते समय सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि विधान मंडल में अध्यापकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से राजनीति की भावना को जन्म मिलता है ? क्या इसीलिये यह निर्णय करने का विचार है ?

**श्री विभूधेन्द्र मिश्र** : की गई सिफारिशों में यह भी एक सिफारिश है। जैसा मैंने बताया, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह मामला अभी विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के उप-कुलपति ने भी कहा है कि अध्यापकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिये।

**Shri Sarjoo Pandey:** The hon. Minister stated that no other class is granted representation like the one given to teachers and this is the reason why the State Governments have suggested its abolition. Have the Government

had a talk with the State Governments for the abolition of the Upper House itself ?

**Mr. Speaker :** Consideration of such matters takes time.

**Shri Yashpal Singh :** From the statement of the hon. Members it is clear that the doctors and professors do not get any representation. Have Government considered this aspect that a limit of Rs. 25,000 has been fixed under our Constitution to fight elections to Parliament and since teachers draw a salary of Rs. 100 or Rs. 125 - per month, they would not be able to fight General Elections ? In view of the fact that the number of teachers is more than 35 lakhs, will the abolition of their Constituencies not amount to depprivation of their rights ?

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं । परन्तु मेरे विचार से यह सुसंगत नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि चूंकि अध्यापकों को कम वेतन मिलता है, अतः वे संसद् के सामान्य चुनावों में कैसे आ सकेंगे । जैसा किसी सदस्य ने कहा, वे संसद् में आयें ही क्यों ?

**Shri Yashpal Singh :** In case their Constituency is abolished how would they be able to fight General Elections ?

**Mr. Speaker :** The matter is yet under the consideration of the Government.

**श्री रंगा** : माननीय मंत्री जी ने, जैसा कि अन्य लोगों ने भी कारण बताये हैं, इसके समर्थन में कि अध्यापकों के लिये एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिये अनेक कारण बताये हैं । परन्तु इसी के साथ साथ, वे इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रहे हैं । क्या किये जाने वाले उस विचार के अन्तर्गत सरकार इस संभावना पर भी विचार कर रही है कि स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने के स्थान पर इस में स्नातकों सहित समस्त सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी शामिल कर लिया जाय ताकि समूचे अध्यापक वर्ग को उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके क्योंकि संविधान निर्माताओं का यह अभिप्राय था कि कार्यकारी प्रतिनिधान की व्यवस्था की जाय ?

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : यह तो एक सुझाव है । मामला विचाराधीन है । मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि क्या निर्णय किया जायेगा ।

**श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : जब सरकार समस्त स्कूलों को सरकारी स्कूलों के ही वर्ग में लाने के बारे में सोच रही है, तो क्या वह ऐसा नहीं समझती कि ऐसा करने से ये अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : समूचे शिक्षा क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण के अधीन लाने में अभी कुछ समय लगेगा ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस मामले में संसद् की अनुमति ली जायेगी और क्या इस प्रश्न पर विचार विमर्श किये जाने के दौरान अध्यापकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या अध्यापकों को संसद् में बुलाया जायेगा ?

**श्रीमती सावित्री निगम** : मंत्रालय में ।

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जब निर्णय कर लिया जायेगा, तो निश्चय ही संसद् को इस पर इस रूप में चर्चा करने का अधिकार होगा कि संविधान के अनुच्छेद १७१ के अन्तर्गत इस के लिये संसद् के समक्ष एक विधान प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

**श्री कन्डप्पन** : इस निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने के समर्थन में चुनाव आयोग ने क्या कारण दिये हैं अथवा आयोग ने अपने ही आप इसका सुझाव दिया है ?

**श्री बड़े** : मुख्य कारण क्या है ?

**श्री कन्डप्पन** : क्या मुख्य कारण दिये गये हैं ?

**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं व्यौरा दे चुका हूं । राज्य तथा चुनाव आयोग दोनों ने ही सुझाव दिये हैं ।

### सॉफ्ट कोक के डिपो तथा 'डम्प'

\+
*१२८२. { **श्री बी० चं० शर्मा** :
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परिवहन सलाहकार समिति के जरिये राज्य सरकार से कहा गया है कि वे सॉफ्ट कोक के डिपो तथा 'डम्प' बनाने के लिए लाइसेंस तथा अनुमति पत्र निर्बाध रूप से देने के संबंध में विचार करें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) और (ख). जी हां, प्रश्न पर कोयला परिवहन सलाहकार समिति की उपसमिति की कुछ बैठकों में चर्चा की गई, जिनमें कि विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । राज्य सरकारों ने सॉफ्ट कोक डिपो और कोयला डम्प खोलने के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था क्योंकि अब कोयले का पर्याप्त सम्भरण उपलब्ध है । राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर विचार करना स्वीकार कर लिया है ।

**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों के साथ सम्बन्ध रखा है और यदि हां, तो राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के पास क्या सूचना आई है ?

**श्री तिम्मय्या** : हमने मार्च के महीने में राज्य सरकारों को लिखा और कुछ राज्य सरकारों ने उत्तर दिया है कि वे इस मामले पर सक्रिय विचार कर रहे हैं ।

**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या सॉफ्ट कोक डिपो और डम्पों की स्थापना पूर्णतया प्रशासनिक आर्थिक तथा अन्य प्रकार से राज्य सरकारों का काम होगा, अथवा इसमें केन्द्रीय सरकार का भी कुछ हाथ होगा ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सरकार का इस में कोई हाथ नहीं। यह इन डम्पों को बनाने के लिये गैर सरकारी लोगों को अनुमति दे रही है।

**श्री बड़े** : आपके पास कितना साफ्ट कोक जमा है और इसको किस प्रकार राज्यों में बांटा जायेगा ?

**श्री तिम्मय्या** : मैं १९६३ का उत्पादन बता सकता हूं। यह लगभग २९ लाख टन है।

**श्री बड़े** : इसको कैसे राज्यों में बांटा जायगा। क्या मध्य प्रदेश को अधिक अभ्यंश मिलेगा ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इनको सामान्यतया उत्तरी राज्यों में बांटा जाता है। हमने जो कुछ तैयार किया है वह बेच दिया गया है।

**श्री हेडा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र में कोक की खपत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, ताकि गोबर का प्रयोग ईंधन के तौर पर रोका जा सके, सरकार कुछ सहायता देने का विचार कर रही है जिसके द्वारा अधिक डिपो और डम्प खोले जा सकें, जो ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करें ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : पहले तो इस प्रश्न को इन इंधनों, साफ्ट कोक तथा धूआंरहित कोक के उत्पादन के सम्बन्ध में हल करना होगा। हम धूआं रहित इंधन उत्पादन करने के इस मामले पर कम तापमान कारबनीकरण उपाय के द्वारा हल कर रहे हैं और यदि काफी उत्पादन हुआ, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि इस कार्य के लिये काफी प्रचार किया जायगा। परन्तु इस प्रकार की सामग्री में मैं नहीं समझता कि सहायता दी जा सकेगी।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Have Govt. decided to give licences to small coal dealers ?

**श्री तिम्मय्या** : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, हमने राज्य सरकारों से बिना किसी प्रतिबन्ध के कोक डिपो स्थापित करने के लिये खुले तौर पर लाइसेंस देने के लिए कहा है।

**Shri Sarjoo Pandey :** How many States have conveyed their opinion to the Central Govt. and have Govt. specifically made arrangements for Gold-Smiths so that such people as have not got sources of employment may be given licences ?

**श्री तिम्मय्या** : कुछ राज्यों ने अपने उत्तर भेजे हैं जिनमें बताया गया है कि वे मामले पर सक्रिय ढंग से विचार कर रहे हैं और सम्बन्धित राज्य सरकारें असम, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मा० मंत्री को मालूम है कि ऐसा प्रयोग दिल्ली में किया गया था और गैर निजी व्यापारियों को लाइसेंस दिये गये थे परन्तु यह असफल रहा क्योंकि वहां अनेक अनियमिततायें हुई थीं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जब कभी कमी होती है तो कुछ कठिनाई होती है। अतः हमारा विचार अधिक उत्पादन करने का है, जब ऐसा प्रश्न उत्पन्न होगा।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार साफ्ट कोक उत्पादकों को अतिरिक्त सुविधायें देने का विचार करती है ताकि सोफ्ट कोक का उपयोग घरेलू इंधन के लिये गोबर के स्थान पर प्रयोग किया जा सके ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अब उनको बिना प्रतिबन्ध उत्पादन करने की अनुमति दी जा रही है। जिस मात्रा तक व उत्पादन कर सकेंगे, व ग्रामीण जनता को कोयला दे सकेंगे। परन्तु जैसा मैं बता चुका हूं, अकेला साफ्ट कोक मांग को पूरा नहीं कर सकेगा। हम घटिया किस्म के धूआंरहित नान-कोकिंग कोयले का उत्पादन कर सकेंगे।

## Poznan International Trade Fair

*1283. **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Gokaran Prasad :**
**Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of International Trade be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that an International Trade Fair will be held at Poznan with effect from the 7th June, 1964 ;

(b) If so, whether India will participate in the fair ; and

(c) If so, the value of goods likely to be sent there ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इस मेले में लगभग १,६५,००० रुपये के मूल्य की वस्तुएं प्रदर्शित किये जाने की सम्भावना है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Which four items in these fairs are sold at higher prices and which are sold at lower rates ?

**Shri Manubhai Shah :** Those prices are charged which are acceptable to purchasers there. Our goods worth rupees forty lakhs were sold last year in the fair and that included mostly engineering goods, chemicals and jute goods ?

**Shri Onkar Lal Berwa :** Will girls be sent to this fair also for handling sales etc. and if not, reasons therefor, and who will do this work there ?

**Shri Manubhai Shah :** Duration of this fair is short and services of guides working in our embassies there will be utilised.

**श्री कपूर सिंह** : क्या इन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने से हमें प्राप्त होने वाला लाभ, उन पर खर्च की जाने वाली राशि से अधिक है ?

**श्री मनुभाई शाह** : सभा इस बात से निर्णय कर सकती है कि १·६५ लाख रुपये खर्च करने से एक मौसम में ४० लाख रुपये का व्यापार बढ़ा। मेलों के बिना हम अपना माल नहीं बेच सकते।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : चूंकि हमारा देश विभिन्न विश्व मेलों में भाग ले रहा है, क्या हम अपने माल को लोकप्रिय बना कर अपने निर्यात को बढ़ाने में सफल रहे हैं ?

**श्री मनुभाई शाह** : यह तो परिणाम से स्पष्ट है।

**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार ने स्थायी कुशल विक्रेता या विक्रेत्री, इन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों का कार्यभार संभालने के लिये नियुक्त करने का फैसला किया है, क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि हमारे मेलों में कुशल तथा योग्य विक्रेता तथा विक्रेत्री न होने के कारण अधिकांशतः हानि होती है ?

**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है। इसीलिये हमने राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों सम्बन्धी एक राष्ट्रीय परिषद् बनाई है और वह छोटे बड़े सभी प्रकार के मेलों की प्रभारी होगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों का नियंत्रण स्वयं सरकार द्वारा किया जायगा।

**डा० सरोजिनी महिषी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले और उससे पहले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में बताया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शित माल, जिनमें भारत ने भाग लिया था, हमारे देश में वापिस नहीं आई जब वे नहीं बिकीं, सरकार ने इस बात के लिए क्या पूर्वोपाय किये हैं कि विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में न बिकी शेष वस्तुएं सुरक्षित रूप में देश में वापिस आ जायें ?

**श्री मनुभाई शाह** : ये थोड़ी मात्रा में हैं। दुर्भाग्यवश, मेले के विनियम स्वायत्त ढंग के नहीं हैं। और निमंत्रण देने वाले देशों की आयात-निर्यात नीतियां, जिनको हम माल भेजते हैं, भी हस्तक्षेप करती हैं। परन्तु यह ऐसी बात है जिसकों हमें बर्दाश्त करना होगा कि कुछ चीजें कभी वापस नहीं होंगी।

**Shri Hukam Chand Kachhayaiya** : What are the main items sent to the fair ? How much profit is earned by the sale of costlier items and what percentage thereof is given to the people here ?

**Shri Manubhai Shah** : It is not a question of earning profits. It is a question of selling goods and these are sold in sufficient quantity.

## उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा

*१२८६-क. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में १ नवम्बर, १९६२ से मशीनों के आयात के लिये (एक) बड़े पैमाने, (दो) मध्यम पैमाने तथा, छोटे पैमाने के उद्योगों को कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई ;

(ख) १ नवम्बर, १९६२ से कितने आवेदन पत्र मिले, कितनी विदेशी मुद्रा मांगी गई तथा स्वीकार की गई ; और

(ग) विदेशी मुद्रा का आवंटन करने का मूल कारण क्या था ?

**उद्योग मंत्री (श्री काननगो)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २८३२/६४]**।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये पृथक आंकड़े क्यों नहीं रखे जा सकते और इनके न होने पर मशीनरी के आयात के लिये समूचे औद्योगिक क्षेत्र को विदेशी मुदा के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

**श्री कानूनगो** : पूंजीगत माल के आयात पर इस अवधि में २५ लाख रुपये खर्च हुए हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : गत तीन अर्धवर्षों में . . . . .

**श्री कानूनगो** : मैं चालू अर्ध वर्ष की बात कर रहा हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये मशीनरी के आयात के लिये की गई विदेशी मुद्रा के पृथक आंकड़े देना सम्भव क्यों नहीं है ? दूसरा, यदि ये आंकड़े नहीं रखे जाते, तो इन तीनों वर्षों में मशीनरी के आयात के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ?

**श्री कानूनगो** : मैं जोड़ नहीं बता सकता। मैं कहूंगा कि चालू अवधि में यह २५ लाख रुपये के लगभग है। पिछली अवधि के आंकड़े लगभग १० या ५ लाख कम-ज्यादा हो सकती हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने निश्चित प्रश्न पूछा है।

**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिये दी गई विदेशी मुद्रा का पृथक हिसाब रखना क्यों असंभव है ?

**श्री कानूनगो** : विवरण में बताया गया है कि पृथक आंकड़े देना क्यों संभव नहीं है। माननीय सदस्य ने १९६२ से १९६४ तक उपलब्ध कुल राशि के बारे में जो दूसरा प्रश्न पूछा है, उसके कुल आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि चालू अवधि में यह २५ लाख रुपये के लगभग है। इस अवधि में यह १० लाख इधर या उधर हो सकता है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उसमें कारण नहीं बताये गये। राष्ट्रीय अल्प उद्योग निगम को एक पाई भी क्यों नहीं दी गई, जो कुछ मशीनरी मंगवाने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता करने वाला एकमात्र संगठन है ?

**श्री कानूनगो** : यह ठीक है ; निर्बाध मुद्रा नहीं दी गई है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने मुद्रा की बात नहीं पूछी। यह भी भ्रम है। वह अन्य प्रश्न के बारे में भी अपने उत्तर को ठीक करें। मैं ने निर्बाध मुद्रा का प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने बताना चाहिये कि निर्बाध अथवा अन्यथा कितनी विदेशी मुद्रा कुल निर्यात के लिये दी गई है।

**श्री कानूनगो** : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किश्तों पर मशीनें बेचता है और यह विदेशी ऋण लेता है क्योंकि इसे किस्ती-खरीद कार्यक्रम को चलाना होता है। यह प्रत्यक्ष आयात नहीं करता। माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है कि इस अवधि में न तो निर्बाध मुद्रा से और अन्यथा कोई मुद्रा नहीं दी गई है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने पूछा है, कि इस का क्या कारण है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस का किसी आयात से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध नहीं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जी नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि कुछ आयात नहीं करता, इसे विदेशी मुद्रा की क्या जरूरत है ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन को विदेशी मुद्रा दी जाती है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इस तर्क में नहीं पड़ सकता।

## जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन

+

*१२८७. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६४ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भारत का शिष्टमण्डल गया था और यदि हां, तो शिष्टमंडल के कौन कौन सदस्य थे; और

(ख) क्या सम्मेलन में अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था का मामला पेश किया गया था; और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—२८३३/६४]

(ख) जी हां कम सिकसित देशों के विकास तथा व्यापार के बिस्तार के लिये क्या किया जाएगा, इस के परिणामों का पता सम्मेलन होने के पश्चात् ही लगेगा। पृष्ठ-भूमि, विषयावलि संबंधी कागजात और सम्मेलन के समक्ष वाले मुख्य भारतीय विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०—२८३४/६४]

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : भारत का दृष्टिकोण विशेष रूप से क्या था और इस सम्मेलन में प्रादेशिक आर्थिक, वर्गीकरण के बारे में चर्चा का सामान्य रुख क्या था और गैर पारस्परिक आधार पर अनौद्योगिक देशों की निर्बाध पहुंच के बारे में क्या था?

**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है: कि कम सिकसित देशों में बनने वाली वस्तुओं को औद्योगीकृत देशों के बाजारों में निर्बाध रूप से आने दिया जाए और कम विकसित देशों से पारस्परिक आधार की आशा नहीं की जानी चाहिये। प्रादेशिक आर्थिक वर्गीकरण के बारे में प्रश्न के पहले भाग के संबंध में जो अन्तर्गामी हैं, भारत ने उनका सर्वथा विरोध किया है। हम उन प्रादेशिक आर्थिक वर्गीकरण के पक्ष में हैं, कि का दष्टिकोण आगे देखने का हो, और जिनकी तरजीह कम विकसित देशों की चीजों के लिये हो।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : भारतीय प्रतिनिधि मंडल के मतानुसार और सम्मेलन की चर्चा के सामान्य मत के अनुसार, क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने के लिये वर्तमान संस्थागत मशीनरी को बदलने के लिये कोई उपाय संभव है?

**श्री मनुभाई शाह** : हमने एक संकल्प पेश किया है। शीघ्र ही हमारा प्रतिनिधिमंडल समिति ४ को यह कहेगा कि सम्मेलन को स्थायी रूप दिया जाए: और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी समिति बननी चाहिये जो केवल महासभा के समक्ष उत्तरदायी

हो, और बजट मुद्रा संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलनी चाहिये तथा स्थायी सचिवालय के साथ एक विशेषज्ञ आयोग सम्मेलन होना चाहिये तथा स्थायी समिति की समय समय पर कम से कम छह महीनों मे एक बैठक होनी चाहिये ।

**Shri M. L. Dwivedi :** It is written in the report of the Secretary General of the United Nationls Conference on Trade and Development at page 109.

> "इस नीति के कारण औद्योगिक देशों को विकासोन्मुख देशों को तरजीह देने की जरूरत होगी ताकि उनकी निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिये बाजार बने ।"

I want to know whether any success has been achieved and if so, what.

**Shri Manubhai Shah :** Yes, Sir, some success has been achieved. Entire Soviet Union block has decided while putting an end to their tariff that with effect from 1st January, 1965, all the goods manufactured there will not be charged tariff. Secondly twelve-products have been exempted from tariff in E.C.M. and during the last two years many European Countries have reduced tariff as a result of this atmosphere.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** विकासोन्मुख देशों के कम विकसित देशों को प्रोत्साहन देने के संकल्प के संबंध में भारत को अपने निर्यात के बढ़ने के संबंध में क्या आशाएं हैं ?

**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक प्राथमिकताओं के स्तरों का संबंध है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शब्दावलि के अनुसार, भारत इसके सर्वथा विरुद्ध है । क्योंकि ८५ देशों के विकास अथवा अविकास की मात्रा को जानना कठिन है, अतः हमने समस्त कम विकसित संसार के लिये प्राथमिकताओं का समर्थन किया है ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या जैनेवा में इस बैठक के परिणामस्वरूप और इस सम्मेलन की प्रक्रियाओं के संबंध में इसके निर्णय के कारण, हमारी कुछ वस्तुओं अर्थात चाय, काफी और कोको तथा अन्य कृषि सामान पर कुछ देशों में अत्यधिक शुल्कों की बात ठीक की जाएगी और क्या संबंधित बाजारों मे मूल्य आदि निर्धारित करने के मामले में अन्य आयातक देशों से इसे सहायता तथा समन्वय प्राप्त होगा ?

**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न के अन्तिम भाग के संबंध में मैं कह सकता हूं कि गर्म देशों में तैयार प्राथमिक वस्तुओं के लिये हमने शून्य प्रशुल्क तथा शून्य प्राथमिकता की मांग की है । हमने निर्मित एवं अर्ध निर्मित माल के लिये सामान्य प्राथमिकता की मांग की है ।

## छपाई उद्योग

+

*१२८८. { **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा बनाये गये एक दल ने ब्रिटेन, अमरीका

तथा जापान म छपाई उद्योग का अध्ययन करने के बाद सिफारिश की है कि भारत में विदेशी सहयोग से छपाई की मशीनें बनाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में इस प्रयोजनार्थ एक कारखाना स्थापित करने का विचार है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी हां ।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया ।

**Shri Yashpal Singh :** When does the Govt. propose to establish it and where will it be established ?

**Shri P. C. Sethi :** As has been stated, no decision has yet been taken in this respect.

**Shri Yashpal Singh :** The question is by what time decision will be taken ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** अब सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करने का इरादा नहीं है; हमने ग़ैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को लाइसेंस दे दिये हैं और आशा है कि वे काफी बाकी मशीनरी बना सकेंगे ।

**Shri Yashpal Singh :** Will some licences be given in private sector ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** नौ लाइसेंस दिये जा जा चुके हैं और मुझे आशा है कि वे उत्पादन आरंभ करेंगे ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यह दल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के तत्वाधान में कब नियुक्त किया गया था । और इसने कब अपनी रिपोर्ट दी है तथा सरकार की स्थिति का कब फैसला किया गया ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** यह दल १९६१ में नियुक्त किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को दी ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** यह बताया गया है कि ९ लाइसेंस ग़ैर सरकारी क्षेत्र में दिये गये हैं । उन के नाम क्या हैं और कितनी लागत के लाइसेंस दिये गये हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** मेरे पास लागत संबंधी आंकड़े तो नहीं है । किन्तु नाम ये हैं मैसर्स प्रिंटर्स हाउस लि० नई दिल्ली, मैसर्स ओरियंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता, मैसर्स राम कृष्ण मशीनरी कारपोरेशन, कोयम बटूर, मैसर्स साहू-जैन-लि०, कलकत्ता, मैसर्स ओरियंटल, इंजीनियरिंग ऐंड कमर्शल कंपनी, कलकत्ता, मैसर्स आर० एम० डी० शेवी, राजकोट, गुजरात मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लि० मैसर्स मनुभाई ऐंड संस, मैसर्स पी० आर० रामकृष्ण, कोयंबटूर ।

**श्री रंगा** : क्या सरकार की यह नीति है कि उन को जानकारी की सुविधाएं देने के अतिरिक्त सक्रिय सहायता दी जाए ताकि वे इन समवायों को स्थापित कर के उत्पादन आरम्भ कर सकें ?

**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : हमें अपने देश के विकास में अभिरुचि है और हम प्रत्येक संभव सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

**श्री राजा राय** : क्या देश मे छपाई की मशीनें बनाने के लिये पश्चिम जर्मनी के सार्थो के साथ कोई सहयोग किया गया है ?

**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : मैं नहीं समझता कि पश्चिमी जर्मनी के साथ कोई सहयोग किया गया है । मेरे पास सारा ब्योरा नहीं है ।

**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने बताया है कि ६ लाईसेंस दिये जा चुके हैं । क्या ६ संयंत्रों का आयात किया जाएगा ?

**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां । ये पृथक संयंत्र होंगे और जितनी मशीनरी की जरूरत होगी उस का आयात करना होगा ।

**श्री सोनावन** : क्या ये ६ फर्में वास्तविक निर्माता हैं या झूठी हैं जिनको लाइसेंस दिये गये हैं ?

**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे आशा है कि वे वास्तविक निर्माता हैं और उनमें से कुछ परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये बड़ी सक्रिय कार्यवाई कर रहे हैं ।

**लोह अयस्क का निर्यात**

+

*१२६०. **श्री सुबोध हंसदा** :
**श्री महेश्वर नायक** :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में लोह अयस्क की बिक्री के लिए कई समाजवादी देशों के साथ करार किया है ;

(ख) यदि हां तो इसने किन देशों के साथ करार किया है;

(ग) इस करार के अधीन कितने लोह अयस्क का निर्यात किया जायेगा ; और

(घ) लौह अयस्क के मूल्य के रूप में देय धन का भुगतान किस प्रकार होगा ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, युगोस्लाविया, पोलैंड तथा हंगरी। जर्मन प्रजातंत्र गणतंत्र के साथ अभी सविदा नहीं हुई।

(ग) २२.२० लाख टन (क्रेता की स्वेच्छा पर ४.०० लाख टन समेत) के निर्यात का समझौता हुआ है।

(घ) भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जायेगा।

**श्री सुबोध हंसदा :** निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क किस श्रेणी का था और उस अयस्क में लोहे की मात्रा कितनी है ?

**श्री मनुभाई शाह :** लगभग ६२, ६३ और कुछ ६७ भी।

**श्री सुबोध हंसदा :** चूंकि जर्मनी के साथ बातचीत हो रही है, उसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

**श्री मनुभाई शाह :** अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। अन्यथा इसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

**श्री राम सहाय पाण्डेय :** इस से घटिया किस्म के लौह अयस्क के आयात में किन देशों की अभिरुचि है ?

**श्री मनुभाई शाह :** यह इस प्रश्न से नहीं उठता। परन्तु मैं बता सकता हू कि विशेषकर जापान को घटिया किस्म के लौह अयस्क में अभिरुचि है।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या बेलाडिल्ला और किरिबुरु लौह अयस्क, उन देलों को लोहा अयस्क भेजने के लिये पूर्णतया निकाला जाता है ? अथवा क्या हम लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध कर रहे हैं क्योंकि जापान को इस विशिष्ट अयस्क में अभिरुचि है ?

**श्री मनुभाई शाह :** बेलाडिल्ला में, जैसा कि सभा को मालूम है, हम ने २८ करोड़ रुपये लगाये हैं। हम इसे क्यों छोड़ें ? हम बेलाडिल्ला से निर्यात कर रहे हैं।

**श्री रामचन्द्र उलाका:** निर्यात के लिये उड़ीसा को कितना अभ्यंश नियत किया गया है ?

**श्री मनुभाई शाह :** नहीं, कोई अभ्यंश प्रणाली नहीं। परन्तु टोंका हैजा क्षेत्र तथा पचमती क्षेत्र का उड़ीसा में विकास किया जा रहा है। जैसा कि सभा को विदित है, हम प्रदीप में भी बड़ी परियोजना बना रहे हैं ।

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

## SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

### दिल्ली में सीमेंट की कमी

अल्पसूचना प्रश्न संख्या २२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली नगर निगम के अधीन अनेक स्थानीय परियोजनाओं को सीमेन्ट की कमी के कारण रोक दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि १ अप्रैल, १९६४ से आरम्भ हुई तिमाही के लिए ६,५०० टन की आवश्यकता के मुकाबले में निगम को सिर्फ ६०० टन सीमेन्ट मिली थी और पिछली तिमाही में सप्लाई मांग से १,२०० टन कम प्राप्त हुई; और

(ग) क्या इस कमी को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) १ अप्रैल, १९६४ से आरम्भ हुई तिमाही के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए १०,००० मेट्रिक टन की मांग के मुकाबले में दिल्ली प्रशासन ने उसे ९,२५० मेट्रिक टन दिया था। जनवरी–मार्च, १९६४ की तिमाही में नियत ६,७०० मेट्रिक टन के मुकाबले में ७,४३८ मेट्रिक टन सप्लाई किया गया।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा जो भी कोटा दिया जायेगा उससे दिल्ली नगर निगम को सप्लाई देने में शीघ्रता करने के लिए सरकार ने सभी संभव कदम उठाये हैं।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : दिल्ली निगम को सप्लाई की गयी सीमेन्ट की कमी के मुख्य क्या कारण हैं ?

**श्री कानूनगो** : देश में सर्वत्र सीमेन्ट की कमी है। देश में लगभग ८ लाख टन सीमेन्ट उपलब्ध है जब कि अनुमानित मांग १५ लाख टन से कुछ अधिक है। इसलिए उसका राशन करना ही होगा। दिल्ली प्रशासन को कुछ मात्रा दी जाती है और फिर दिल्ली प्रशासन उसे दिल्ली नगरपालिका को देता है। जहां तक नगरपालिका का सम्बन्ध है, जो आंकड़े मैंने बताये हैं उससे यह दिखायी देगा कि जो भी मात्रा नियत की गयी थी वह उसे प्राप्त हुई है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : माननीय मंत्री के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि हर महीने लगभग ७ लाख टन की कमी पड़ती है ?

**श्री कानूनगो** : जी हां, मैं संपूर्ण देश के बारे में बता रहा हूं।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या नगरपालिका ने अपनी आवश्यकता संबंधित अधिकारियों को समय पर ही बता दी थी; यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर उसे सीमेन्ट सप्लाई करने के लिए क्यों प्रबन्ध नहीं किया गया ?

**श्री कानूनगो** : मैं ने आंकड़े बताये हैं। पिछली तिमाही, जनवरी–मार्च में, उसे ६,७०० मेट्रिक टन कोटा दिया गया था लेकिन सप्लाई उससे ज्यादा दी गयी अर्थात् ७,४३८ मेट्रिक टन। फिर भी, कुल आवश्यकता शायद पूरी न हुई हो।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह वास्तव में चिन्ताजनक है कि मांग और पूर्ति में इतना अधिक अन्तर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह किस प्रकार है कि सरकार सीमेन्ट न रहने पर भी मकान बनाने की योजनाओं को बढ़ावा दे रही है और सारे देश में ऋण दे रही है ? इस संदर्भ में वह कृषि निर्माण कार्यों को क्या प्राथमिकता दे रही है ?

**श्री कानूनगो :** कई परियोजनाओं में निर्माण हो रहा है और उत्पादन बढ़ेगा। कुछ प्रोत्साहन दिये गये थे जिनके कारण वर्तमान कारखानों में उत्पादन कुछ अधिक हो रहा है। १९६६ में हमारी स्थिति अधिक अच्छी होगी। इस बीच हमें कमी का सामना करना पड़ेगा।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जब कमी है तब वह संपूर्ण देश में मकान बनाने के लिए ऋण क्यों दे रही है ? यह गड़बड़ी है। कहीं तो कुछ समन्वय होना चाहिये। यह क्या स्थिति है ?

**श्री कानूनगो :** जब मकान बनाने की कोई योजना शुरू की जाती है तो उसका यह मतलब नहीं कि उसके लिए सारी सीमेन्ट की आवश्यकता होगी।

**अध्यक्ष महोदय :** जब सीमेन्ट मिलने की कोई गुंजायश नहीं है तो ऋण क्यों दिये जाते हैं ?

**श्री कानूनगो:** प्रत्येक राज्य अपना-अपना अनुमान लगा कर अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग करता है और हर तिमाही में उसे बताया जाता है कि उसे कितनी सीमेन्ट मिलेगी और उसके अनुसार वे अपना निर्माण-कार्यक्रम बनाते हैं।

**Shri Hukam Chand Kachhvaiya :** Is it a fact that in the allotments of Cement quotas to several big Cities and States, Delhi is given many times more quota and it is given from black market ?

**श्री कानूनगो :** स्वाभाविक ही बम्बई और दिल्ली जैसे कुछ शहरों की जहां अधिक मांग होती है, दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कोटा दिया जाता है।

**Shri Hukam Chand Kachhvaiya :** Is it given from black market ?

**Mr. Speaker :** He has replied how it is given.

**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कई लाख टन सीमेन्ट की कमी है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी मान लिया है कि मकान बनाने के लिए ऋण दिये जा रहे हैं और राज्यों को उस तरह सलाह दी जा रही है। इसलिए सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाने या ऋण देने के कार्यक्रम कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्री कानूनगो :** मैं बता चुका हूं कि उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है और १९६६ तक स्थिति काफी ठीक हो जायगी। इस बीच राज्य सरकारों को हर तिमाही में दिया जाने वाला कोटा सूचित कर दिया जाता है और उसके अनुसार ही उन्हें अपने निर्माण कार्यक्रम बनाने होते हैं।

**डा० पं० शा० देशमुख :** क्या इस कमी के होते हुए कृषि तथा शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकताओं को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

**श्री कानूनगो:** जी हां, मैं समझता हूं कि कृषि सम्बन्धी आवश्यकता का मतलब सिंचाई परियोजना और इसी तरह की अन्य चीजों से है।

**Shri Yashpal Singh :** As I had submitted earlier, Delhi's demand has been so large that it cannot be met until a Cement Factory is set up at Faridabad or Meerut or somewhere near about Delhi. What steps are being taken by Government in this direction ?

**श्री कानूनगो :** मैं ने बताया है कि नये कारखाने जिनके लिए लाइसैंस दिये जा चके हैं, इस साल के आखिर में, या अगले साल खुल रहे हैं। दिल्ली के आस पास सीमेन्ट का कारखाना खोलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि वहां चूना-पत्थर जैसा कच्चा माल उपलब्ध नहीं है।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### रूरकेला में इस्पात संयंत्र

*१२७६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र की चौथी धमन भट्टी एक गैर-सरकारी इंजीनियरिंग फैक्टरी में बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कहां और उसमें कितने प्रतिशत विदेशी सहयोग है; और

(ग) क्या देश की भावी इस्पात संयंत्र संबंधी आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने के मामले में स्वावलंबन प्राप्त करने की कोई योजना है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) धमन भट्टी के लिए पश्चिम जर्मनी की एक फर्म को आर्डर दिया जा चुका है। भारत में वह कुछ साज-सामान और उष्मसहभट्टियां लगा देगी।

(ख) ज्ञात हुआ है कि देश में सामान तैयार करने के लिए ठेकेदार ने अभी तक अंतिम रूप से व्यवस्था निश्चित नहीं की है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में ही कितनी इस्पात संयंत्र मशीनें और साज सामान संभवतः मिल सकेगा इसका अंदाज लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि अधिक से अधिक मांग देशी साधनों से पूरी की जा सके।

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*१२८१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६२-६३ में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हुई लगभग २३.९१ करोड़ रुपये की हानि के मुख्य कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने का निर्णय किया है ;

(ख) १९६३-६४ में ये परिस्थितियों किस सीमा तक बनी रहीं ; और

(ग) हानि कम करने के लिये १९६३–६४ में क्या कदम उठाये गये ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) १९६२-६३ में २३.९१ करोड़ रुपये की हानि आमदनी से अधिक कार्य संचालन व्यय के कारण वास्तविक हानि नहीं है। यह हानि मूल्यह्रास के कारण ३०.५९ करोड़ रुपये और सरकारी ऋण पर ब्याज के, जो पहली बार अप्रैल, १९६३ में देय था, भुगतान के लिये १७.४६ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद है।

(ख) १९६३–६४ का हिसाब किताब अभी बन्द नहीं किया गया है। फिर भी १९६२-६३ के परिणाम की तुलना में वित्तीय परिणाम में काफी सुधार होने की आशा है।

(ग) उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा कर, आय बढ़ा कर और कच्चे माल की खपत न्यूनतम करके हानि कम करने के लिये कदम उठाये गये हैं ; ।

**कोकिंग कोयला**

*१२८५. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री रामरतन गुप्त :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोफ्ट कोक बनाने के लिये निम्न श्रणी के कोकिंग कोयले के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रेणी ३ को कोकिंग कोयला घोषित नहीं किया गया है और श्रेणी २ (श्रेणी एच० एच० कोकिंग कोयले के बराबर) के निक्षेप बहुत हैं ;

(ग) प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सोफ्ट कोक की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वास्तव में वह निम्न श्रेणी का कोकिंग कोयला है जिस से साफ्ट कोक तैयार किया जाता है।

(ख) तीसरी श्रेणी का कोयला अर्थात् जिसमें २४ प्रतिशत से अधिक राख होती है, कोकिंग कोयला नहीं गिना जाता क्योंकि ज्यादा राख वाला कोयला धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये काम में नहीं लिया जा सकता। ग्रेड २ (अर्थात् ग्रेड एच० एच०) कोकिंग कोयले के निक्षेप पर्याप्त हैं लेकिन देश के क्रमश : बढ़ते हुए इस्पात कार्यक्रम के कारण उसे काफी पर्याप्त नहीं समझ जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) साफ्ट कोक तैयार करने के लिए आवश्यक ढंग के कच्चे कोयले की सप्लाई काफी है और सारी मांग पूरी करने के लिए साफ्ट कोक का उत्पादन काफी है।

**चाय बागानों को ऋण**

*१२८९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों के चाय बागानों को पुनरारोपण/नये बागान योजनाओं में धन लगाने के लिए चाय बोर्ड ने पांच करोड़ रुपये की पर्यावर्ती निधि में से १९६३ में कितना धन दिया था ;

(ख) इस निधि में से कितना धन औसतन चाय बागानों में परिचालित रहता है और कितना सामान्यत: 'रक्षित' रखा जाता है ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) चाय बोर्ड ने १९६३ में पहली किस्त के तौर पर २९.२५ लाख रुपये की रकम दी थी लेकिन कुछ ऋण की रकम जिस के लिए ऋण लेने वाले पक्षों द्वारा कागजात तैयार किये जा चुके हैं, १७४.०९ लाख रुपया थी। प्रदेश के अनुसार ब्योरा इस प्रकार है :—

| प्रदेश | चुकता की गयी पहली किस्त | वचन बद्ध कुल रकम |
|---|---|---|
| आसाम . | १३.७६ लाख रुपया | ७६.६६ लाख रुपया |
| पश्चिम बंगाल | ११.६२ लाख रुपया | ८०.०० लाख रुपया |
| दक्षिण भारत | ३.८७ लाख रुपया | १७.४३ लाख रुपया |

(ख) चाय बागानों को वास्तव में भुगतान की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये सरकार समय समय पर चाय बोर्ड को धन देती है। बोर्ड कोई रकम रिजर्व में नहीं रखता।

## ट्रकों का निर्माण

*१२९१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अशोक लेलैंड ने सरकार को "बीवर ट्रकों" तथा २० से २५ टन की क्षमता वाली यात्री परिवहन मोटर गाड़ियों का निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थापित होने वाली प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी है तथा क्या सरकार ने लाइसेंस दे दिया है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) मेसर्स अशोक लेलैंड ने जो योजना प्रस्तुत की है वह 'बीवर' ट्रक तथा ३६,००० पौंड के अधिकतम कुल भार की गाड़ी के पैसेन्जर चैसेज तैयार करने के सम्बन्ध में है ?।

(ख) २००० संख्या की वार्षिक क्षमता के लिए उसे एक लाइसेंस दिया गया है।

## बेल्लारी जिले में खानों का यंत्रीकरण

२७४७. **श्री शिव मूर्ति स्वामी** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी जिले में विभिन्न खान मालिकों को अपनी अपनी खानों के यंत्रीकरण के बारे में परामर्श देने के लिए सरकार ने कोई तकरीकी और इंजीनियरिंग जांच पड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शीघ्र ही ऐसी जांच पड़ताल शुरू करने की कोई योजना सरकार के सामने है ; और

(ग) क्या वह समझती है कि यंत्रीकरण से उन खान मालिकों द्वारा निकाले जाने वाले अयस्क का परिमाण बढ़ाने में कुछ मदद मिलेगी ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं ; लेकिन यदि खान मालिक कोई योजनाएं बनाये तो भारतीय खान ब्यूरो उन की छानबीन कर सकता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह कई बातों पर निभर होगा जसे निक्षेप की मात्रा, उसका स्थान गहराई और संबंधित भूगर्भशास्त्रीय तथा आर्थिक बातें ।

## खानों का यंत्रीकरण

२७४८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों के यंत्रीकरण के लिए चालू वर्ष में कोई धन दिया है और यदि हां, तो कितना ?

(ख) क्या वह इस्तेमाल किया जाने वाला है और इस वष में कितनी खानों में मशीन लगाई जाने वाली हैं ;

(ग) क्या खानों के यंत्रीकरण के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त और योग्यताप्राप्त कर्मचारी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या बहुत जल्द आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने का उस का विचार है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय तथा राज्य खनन परियोजनाओं से यह जानाकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-शीघ्र वह समेकित रूप में सभापटल पर रख दी जायगी ।

(ग) और (घ). यंत्रीकरण की योजनाएं विभिन्न परियोजनाओं द्वारा बनाई जाती हैं और उनके पास इस के लिए आवश्यक कर्मचारी या परामर्शदाता होते हैं ।

## हिमाचल प्रदेश में मोटर साइकिलें और स्कूटर

२७४९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मोटर साइकिलें और स्कूटर तैयार करने के लिये लाइसेंस दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कारखाना संभवत: कब खोला जायगा ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**नेपाल से ऊन का आयात**

२७५०. **श्री हेमराज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ और १९६३–६४ में नेपाल से कितना ऊन मंगाया गया और उसकी कीमत कितनी है ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९६२–६३ और १९६३–६४ (अप्रैल, १९६३–फरवरी, १९६४) में भारत ने नेपाल से क्रमशः ४३,६०० और ३६,९३७ किलोग्राम ऊन आयात किया । १९६२–६३ में ऊन की कीमत के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन १९६३-६४ के लिए औसत मूल्य प्रति किलो ग्राम ६.८५ रुपये था ।

**लैटिन अमरीकी व्यापार समन्वय सम्मेलन**

२७५१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय** व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६४ में अर्जेन्टाइना में लैटिन अमरीकी व्यापार समन्वय सम्मेलन के विशेष अधिवेशन में युगोस्लाविया तथा अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ भारत को भी बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने भाग लिया था ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**नंगल में बिजली के भारी सामान का निर्माण**

२७५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री १४ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल में बिजली का भारी सामान तैयार करने के लिए प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम कायम करने के बारे में इस बीच कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). बिजली का भारी सामान तैयार करने के लिए पटियाला या नंगल में एक नया औद्योगिक कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस के लिए पंजाब सरकार के आवेदन पत्र पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

**औद्योगिक प्रबंध 'पूल' पदाधिकारी**

२७५३. **श्री बाल कृष्ण सिंह :**
**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में सामान्य प्रबन्धक, उप सामान्य प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रशासनिक तथा कर्मचारी अधिकारियों के कुल कितने पद हैं ; और

(ख) उनके मन्त्रालय के नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र में कितने पदों पर औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) इस मन्त्रालय के विभिन्न उपक्रमों में पदों की संख्या इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| सामान्य प्रबन्धक . . . . . | १९ |
| उप सामान्य प्रबन्धक . . . . . | १८ |
| वरिष्ठ प्रशासनिक तथा कर्मचारी अफसर . . . | २५५ |

(ख) ५६ ।

**पावरलूम केन्द्र**

२७५४. **श्री मा० ल० जाधव :**
**श्री जेधे :**
**श्री लोनीकर :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पावरलुम उद्योग में बुनकरों के काम करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या पावरलुम केन्द्रों के बुनकर केन्द्रों में कोई औद्योगिक बस्तियां और कर्मचारियों की बस्तियां हैं, और

(ग) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं ?

**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) . विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या २८३५/६४]**

**दूसरा ढलाई गढ़ाई कारखाना**

२७५५. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूसरा ढलाई-गढ़ाई कारखाना खोलने के बारे में इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). अगला कदम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार करना है और वह काम शुरू कर दिया गया है।

## दूसरा खनन मशीनरी कारखाना

२७५६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुजेश्वर मीना :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड की सरकार की सहायता से स्थापित किये जाने वाले दूसरे खनन मशीनरी कारखाने का स्थान निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## 'पोलिस्टर फाइबर' का निर्माण

२७५७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुजेश्वर मीना :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास इस समय 'पोलिस्टर फाइबर' के निर्माण के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) २।

(ख). (१) मैसर्स प्रीमियर फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड विजयवाड़ा। वे विजागा पटन में मैसर्स वोल कोहोर्न युनिवर्सल कारपोरेशन अमेरिका के सहयोग से २० लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता का कारखाना स्थापित करना चाहते हैं।

(२) मैसर्स बी० एस० सिवालिंगम चेट्टियार, मद्रास। वे २० लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष 'पोलिस्टर फाइबर' के निर्माण के लिये मद्रास राज्य में एक उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं।

## बेलग्रेड में प्रदर्शिनी

२७५८. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बैलग्रेड में इस वर्ष एक प्रदर्शिनी का आयोजन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार चालु वित्तीय वर्ष में बैलग्रेड में एक भारतीय प्रदर्शिनी आयोजित करने की इच्छा रखती है।

(ख) युगोस्लाविया के आयात संगठन ने बार बार यह कहा है कि चूंकि हमारी निर्मित वस्तुओं विशेषत: उपभोक्ता वस्तुओं का युगोस्लाविया में पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ है, इसलिये वहां पर उपभोक्ताओं को भारतीय वस्तुएं खरीदने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिये फरवरी के अन्त में अथवा मार्च १९६५ के आरम्भ में युगोस्लाविया में मध्य स्तर पर एक प्रदर्शिनी आयोजित करने का विचार है, जिसमें विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं और कुछ चुनी हुई भारतीय वस्तुएं दिखाई जायेंगी।

## इस्पात और कच्चे लोहे की कमी

२७५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ (फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री) के प्रधान ने उद्योगों पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में २१ मार्च, १९६४ को यह कहा कि इस्पात और कच्चे लोहे की कमी औद्योगिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ;

(ख) यदि हां, तो यह वक्तव्य किस हद तक मान्य समझा जाता है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं और इस्पात का उत्पादन कार्यक्रम से कितना पीछे है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). जी, नहीं। हां बैठक में औद्योगिक एककों को लोहा और इस्पात के सम्भरण में कमी के बारे में जिक्र किया गया था।

(ग) कच्चे लोहे की सम्भरण स्थिति में सुधार के लिये १९६३–६४ में १५०,००० टन से १८०,००० टन कच्चा लोहा आयात किया गया। इस्पात की जिन किस्मों की सबसे अधिक कमी है उनका १० लाख टन का आयात उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमित राशि से किया जा रहा है।

**ऊनी माल के लघु निर्माताओं की संस्था अमृतसर**

२७६१. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमृतसर की ऊनी माल के लघु निर्माताओं की संस्था (अमृतसर स्माल स्केल वुलन मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन) के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बहुत से छोटे कारखाने या तो बन्द हो गये हैं या कम काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी संख्या में मजदूर बेकार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) कच्ची ऊन के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में कमी मुख्य रूप से सूत की कमी का कारण है । तथापि कताई मिलों ने समुची उपलब्धता के अन्दर अन्दर, छोटे कारखानों को आवंटित सारी मात्रा जुन, १९६४ के अन्त तक दे देना मान लिया है ।

**आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण**

२७६२. **श्री श्रीनारायणदास** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय में मिलाने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुन्द्र मिश्र)** : (क) से (ग). भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने २८-३-६४ को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण करते हुए कहा कि यह बात अधिक सन्तोषजनक होगी कि तथ्यों तथा विधि पर आधारित जो अपीलें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष हैं उन्हें विभिन्न राज्यों उच्च न्यायालयों में तबदील कर दिया जाये । सरकार इस सुझाव की जांच कर रही है ।

**Industries in Orissa**

**2763. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have given Rs. 33 crores to the Government of Orissa during 1964 for setting up new factories ; and

(b) If so, the names of industries to be set up with this money ?

**The Minister of Industry (Shri Kanungo) :** (a) and (b) Information is being collected and it will be laid on the Table of the House as early as possible.

## राज्यों में भारी उद्योग

२७६४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने भारी उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में अब तक कितने ऐसे भारी उद्योग थापित किये गये हैं तथा किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पंजाब में कौन कौन से भारी उद्योग स्थापित किये जायेंगे तथा कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय द्वारा भारी उद्योगों के २० एकक (जिसमें वर्तमान एककों का विस्तार करना भी शामिल है) स्थापित किये जा रहे हैं।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में पिंजौर के स्थान पर एक मशीनी औजार कारखाना स्थापित किया गया है ।

(ग) इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पंजाब में कोई नया भारी उद्योग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

## सिंघभूम में चूने के पत्थर के निक्षेप

२७६५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला सिंगभूम (बिहार) में चूने के पत्थर के भारी निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के भूवैज्ञानिकों ने भी इसकी जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को चूने के पत्थर के नये निक्षेपों का पता नहीं लगा है। हां, इस बात का बहुत दिनों से पता है कि सिंघभूम में चूने के पत्थर के निक्षेप हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच अभी भी जारी है और इस समय कुछ भी बताना कठिन है ।

## विधि स्नातकों का अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज किया जाना

२७६६. **श्री जेधे** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों के अन्तर्गत वे सभी विधि स्नातक, जिन्होंने अपनी विधि की उपाधि २८ फरवरी, १९६३ से पहले प्राप्त की है, अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज किये जाने के लिये पात्र हैं ;



682 (ai) LSD—4.

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तारीख को बढाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त विधान कब पुरः स्थापित किया जायेगा ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विमुधेन्द्र मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस प्रयोजन के लिये आवश्यक विधान, अर्थात् अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४ लोक-सभा द्वारा २५ अप्रैल, १९६४ को पारित किया गया था ।

**ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे**

२७६७. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **अन्तराष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों की फर्मों को किसानों को ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे सप्लाई करने के लिये उनको आयात करने की अनुमति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं । ट्रैक्टरों के सभी पुराने आयातकर्ताओं को ट्रैक्टरो के फालतू पुजे आयात करने की अनुमति है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**पराद्वीप पत्तन में इस्पात संयंत्र**

२७६८. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरी अथवा चौथी योजना अवधि में उड़ीसा में परादीप पत्तन में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उड़ीसा में खनिज निक्षेप**

२७६९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला कोरापट (उड़ीसा) में खनिज निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो खनिजों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन मूल्यवान खनिजों को उपयोग में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को बाक्साइट, चिकनी मिट्टी, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और गैस के निक्षेपों का पता चला है ।

निम्नलिखित खनिजो के भी छोटे और अलाभप्रद निक्षेप मिले हैं :

कांच की रेत, स्वर्ण, ग्रैफाइट, इल्मेनाइट, चूने का पत्थर, अभ्रक और सेलखड़ी पत्थर ।

(ग) राज्य सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

## उड़ीसा में कच्चे लोहे की कमी

२७७०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३–६४ में कच्चे लोहे की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिये उड़ीसा में छोटे उद्योगों को काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो उसी अवधि में कच्चे लोहे की कमी के कारण उड़ीसा में ऐसे कितने उद्योगों को बन्द किया गया था ;

(ग) क्या सरकार के पास १९६४–६५ में उड़ीसा के लिये कच्चे लोहे के कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो १९६४–६५ के लिये उड़ीसा को कच्चे लोहे की कुल कितनी मात्रा दी ई है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) कच्चे लोहे की कमी केवल उड़ीसा राज्य के उद्योगों के लिये ही नहीं है, अपितु इसकी कमी अन्य राज्यों में भी है। १९६३–६४ में २० लाख मीट्रिक टन से भी अधिक की मांग की तुलना में कच्चे लोहे की कुल उपलब्धता लगभग १२ लाख मीट्रिक टन थी। इसलिये सभी राज्यों की मांग के केवल एक भाग को पूरा करना संभव हो सका है।

(ख) सरकार उड़ीसा में कच्चे लोहे की कमी के कारण उद्योगों के बन्द हो जाने से अवगत नहीं है ।

(ग) और (घ) यह अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है कि १९६४-६५ में कितना कच्चा लोहा दिया जायेगा ।

**उड़ीसा की सीमेंट की आवश्यकता**

२७७१. { **श्री धुलश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा की सीमेंट की वर्तमान आवश्यकता क्या है ;

(ख) १९६३–६४ में उड़ीसा को वास्तव में कितनी सीमेंट सप्लाई की गई ; और

(ग) १९६४–६५ के लिये उड़ीसा को कितनी सीमेंट दी गई है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) राज्य सरकार ने अवधि २/६४ (अप्रैल-जून १९६४) के लिये ३१२,००० मीट्रिक टन की मांग बताई है ।

(ख) १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को १५७,१०२ मीट्रिक टन का संभरण किया गया है ।

(ग) राज्यों को सीमेंट त्रैमासिक आधार पर दी जाती है । उड़ीसा को दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून १९६२) में २९,१०० मीट्रिक टन सीमेंट दी गई । २५,००० टन की अतिरिक्त मात्रा भी दी गई है ।

**उड़ीसा के लिये स्टेनलेस स्टील**

२७७२. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलेस स्टील के लिये उड़ीसा की वर्तमान आवश्यकता क्या ;

(ख) १९६३-६४ में उस राज्य को वास्तव में कितना स्टेनलेस स्टील सप्लाई किया गया ; और

(ग) १९६४-६५ के लिये उड़ीसा को स्टेनलेस स्टील की कितनी मात्रा दी गई है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) उड़ीसा अथवा अन्य किसी राज्य के लिये स्टेनलेस स्टील की आवश्यकताओं का हाल ही में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) १९६३–६४ में उड़ीसा अथवा अन्य किसी राज्य को स्टेनलेस स्टील नहीं दिया गया था ।

(ग) बर्तन बनाने के लिये २००० मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील आयात करने का विचार है और इसमें से लगभग ३० मीट्रिक टन उड़ीसा राज्य को दिया जायेगा ।

## सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी

२७७३. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के दक्ष और अदक्ष कर्मचारियों की औसत मासिक आय क्या है ; और

(ख) उनकी आय उन सरकारी उपक्रमों की प्रशासनिक शाखाओं के कर्मचारियों की औसत मासिक आय की तुलना में कैसी है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—२८३६/६४**]

## नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

२७७४. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी पक्षों को बेचने के लिये, नैशनल इंस्ट्रूमैंट्स लिमिटेड की वस्तुओं के वितरकों के नाते नियुक्ति के सम्बन्ध में गैर-सरकारी फर्मों के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निबन्धन क्या हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) यह सामान्य वाणिज्यिक प्रक्रिया के विरुद्ध है और इस मामले में ऐसे वितरण अभिकरण करारों के ब्योरा बताना समवाय के लिये हानिकारक हो सकता है।

## असम के खादी बुनकर

२७७५. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने प्रमाणित संस्थाओं की सूची के केवल बुनकरों को करघों और बुनने वाले सामान अर्थात् सरंजमों की बिक्री पर, छूट देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और इसके द्वारा असम के अधिकांश पुराने बुनकरों को उस छूट से वंचित कर दिया है, जो सूती, ऐडी, मूगा, पाट (रेशम), जो सभी खादी हैं, बनाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## सिंगरेनी कोलयरीज कम्पनी के लिये विदेशी मुद्रा

२७७६. **श्री र० ना० रेड्डी**: क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को कितनी राशि की विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ख) कितनी खर्च की गई ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा का कुछ अंश उपयोग में नहीं लाया गया क्योंकि मंजूरी बहुत देरी से दी गई थी ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) ९९.७८ लाख रुपये ।

(ख) ६४.७५ लाख रुपये ।

(ग) अब तक ९९.७८ लाख रुपये के नियतन में से वास्तव में ६४.७५ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है और यह समस्त राशि उपयोग में लाई गई है ।

## Coking and Non-Coking Coal

2777. **Shri Rameshwar Tantia :**
**Shri Ram Ratan Gupta :**

Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) The percentages of selected, medium and lower grades of coking and non-coking coal separately, to total coal production in 1963 in West Bengal and Bihar coalfields : and

(b) The estimated diversion that has taken place in consumption of selected and medium grades of coal for purposes for which lower grade of coal could have been utilised ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi):** (a) Gradewise production of coal in 1963 expressed as percentage of total production in the West Bengal and Bihar fields is as under :—

| Grade | Coking Coal | Non-coking coal | Total |
|---|---|---|---|
| Selected . | 10.6 | 15.5 | 26.1 |
| Medium . | 16.1 | 29.8 | 45.9 |
| Lower grades | 7.1 | 19.8 | 26.9 |
| Non graded . | .. | 1.1 | 1.1 |
| TOTAL . | 33.8 | 66.2 | 100.0 |

(b) The gradewise distribution of coal is governed by the gradewise schedule which indicates the highest permissible grades to any industry as fixed by the Government, taking into consideration the burning equipment available with the various classes of industries. As a general rule, therefore, industries or consumers who are entitled only to lower grades of coal are not allocated medium or superior grades.

**बढ़िया किस्म के कोयले की खपत**

२७७८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १० अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कोयला खान के प्रधान द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि १९६३ में ईंट उद्योग की कोयले की ३१.५ प्रतिशत आवश्यकता प्रथम श्रेणी के कोयले से पूरी की गई ;

(ख) चालू वर्ष में इस स्थिति में क्या परिवर्तन होने की संभावना है ; और

(ग) श्रम कार्यों के लिये घटिया किस्म के कोयले का उपयोग किया जा सकता है, उसके लिये बढ़िया किस्म के कोयले की खपत को रोकने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). जी हां। भट्टा उद्योग को साधारणतया छोटा कोयला दिया जाता है। एक अवसर पर पहली और दूसरी श्रेणी के कोयले का उत्पादन पर्याप्त नहीं था और इस उद्योग को केवल तीसरी श्रेणी का कोयला दिया गया। बाद में, पहली और दूसरी श्रेणियों में ऐसे छोटे कोयले का उत्पादन काफी अधिक बढ़ गया। जबकि इन श्रेणियों का स्टीम कोयला महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, अर्थात् रेलवे आदि के प्रयोग में आता है, इस श्रेणी के छोटे कोयले के उपयोग के लिये भी कोई मार्ग निकालना था अन्यथा स्टीम कोयले के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता। अस्थायी उपाय के तौर पर भट्टा उद्योग को पहली और दूसरी श्रेणियों का छोटा कोयला दिया जाता है। इसे बेकार नहीं समझा जाता क्योंकि ऐसे छोटे कोयले का और कोई उपयोग नहीं है। पहली श्रेणी के छोटे कोयले का भट्टों के लिये उपयोग कम हो गया है, मार्च, १९६४ में केवल १२.३३ प्रतिशत उपयोग हुआ है।

(ग) कोयले का वर्गवार वितरण वर्गवार अनुसूचि के अनुसार किया जाता है जिससे, विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के पास उपलब्ध जलाने के उपकरण का ध्यान रखते हुए, सरकार द्वारा नियत मात्रा में, किसी उद्योग को मिल सकने वाली सबसे बढ़िया श्रेणी का पता चलता है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, उद्योगों या उपभोक्ताओं को, जिनको केवल घटिया किस्म का कोयला ही मिल सकता है, सामान्यतया, मध्यम या बढ़िया किस्म का कोयला नहीं दिया जाता।

**बेलाडिला में कच्चे लोहे की फेक्टरी**

२७७९. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलाडिला में लोह अयस्क बड़ी मात्रा में और सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन वहां पर कच्चे लोहे की फेक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करेगी ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क)

बेलाडिला लोह अयस्क के निक्षेपों का अनुमान ११३५० लाख टन है । प्रतीत होता है कि इस्पात संयत्रों के लिये काम आने वाले कुशल मजदूरों को उस क्षेत्र में मिलने की संभावना नहीं है ।

(ख) और (ग). कर्मकार वर्ग की सिफारिश के अनुसार, जो सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने में सहायता देने के लिये नियुक्त किया गया था, बेलाडिला वैशाखापटनम प्रदेश में, वहां इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावना का निश्चय करने के निमित्त अध्ययन किया गया है। प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

**कोरबा में कच्चे लोहे की फैक्टरी**

२७८०. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा में कच्चा लोहा तैयार करने के लिये एक नई फैक्टरी स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**क्यानाइट खनन**

२७८१. **श्री ह० च० सोय** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्यानाइट खनन सार्थों, अर्थात् (१) आई० सी० सी० (लोप्सो क्यानाइ), (२) खरस्वान मिनरल कारपोरेशन, और (३) मिश्रीलाल धर्मचंद ऐंड कम्पनी ने पिछले पांच वर्षों में कुल कितने क्षेत्र में खनन किस्म और प्रति एकड़ कितना उत्पादन किया ; और

(ख) उक्त अवधि में उन्होंने कितना निर्यात किया और कितनी राशि कमाई ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) कुल कितने क्षेत्र में खानें खोदी गई और इन तीनों खनन सार्थों का प्रति एकड़ कितना उत्पादन था, यह सूचना उपलब्ध नहीं है । इन सार्थों का पट्टे का क्षेत्र और उससे होने वाले उत्पादन के आंकड़े नीचे बताये जाते हैं :—

| | इंडियन कापर कारपोरेशन लि० (लाप्सो खान) | खरस्वान मिनरल कारपोरेशन | मिश्रीलाल धर्म चन्द ऐंड कंपनी |
|---|---|---|---|
| पट्टे का क्षेत्र एकड़ों में कुल उत्पादन टनों में | | | |
| | ४३२० | १८०४ | ४१६३ |
| १९५९ | १३११९ | १२७५ | ३०० |
| १९६० | १६७६७ | २३०६ | १७७ |
| १९६१ | २०३८० | ५४९२ | ३६९ |
| १९६२ | ४१७९१ | ४८२३ | १९९९ |
| १९६३ . . . | १८०७६ | ५७३७ | ६४४८ |

(ख) निर्यात के लिये भेजे गये क्यानाइट की मात्रा और इसकी लागत नीचे दी जाती है जिसका आधार खान मालिकों द्वारा, भारतीय खान ब्यूरो के निदेशक को भेजी गई सूचना है, खनिज संरक्षण और विकास नियमों १९५८ के अन्तर्गत :—

| वर्ष | मैसर्स इंडियन कापर लि० कारपोरेशन | | खरस्वान मिनरेल कारपोरेशन | मूल्य (रु०) | मिश्री लाल धर्मचन्द ऐंड कंपनी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (टन) | मूल्य (रु०) | मात्रा (टन) | | (मात्रा) | (मूल्य) |
| १९५९ | १६४७६ | ४४५५ | २३२१ | —८५० | २५९ | ६८ (ई) |
| १९६० | २१५८२ | ५५३१ | २३४३ | —६०० | ११७* | ३० (ई) |
| १९६१ | २४८६४ | ६२९५ | ४२६८ | १०७१ (ई) | ३५७* | ९० (ई) |
| १९६२ | २८०४१ | ६९५१ | ४२२१ | ९४२ | १६१९ | ३९३ (इ) |
| १९६३ | १८६९६ | ४५०२ | ४७५२* | १२०७ (ई) | ६६७* | १६९३ ( ई |

*निर्यात के लिये

(ई) वर्ष में नौतल पर्यन्त मूल्य औसत पर अनुमानित ।

**बिहार में क्यानाइट खनन**

२७८२. **श्री ह० च० सोय** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आई० सी० सी० (लोप्सो) क्यानाइट कंपनी तथा मिश्री लाल धर्मचन्द ऐंड कम्पनी को सिंहभूम, बिहार में दिये गये पट्टे की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) क्या ये दो समवाय इन पट्टों की कुछ अत्यावश्यक शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं जिनसे क्यानाइट निर्यात की हमारी कुल स्थिति खराब होती है ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग**

२७८३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश भर में उत्पादक केन्द्रों को अनुदान देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मिल से बने कपड़े के साथ मुकाबला करने के लिए किस वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) कुटीर तथा ग्रामोद्योगों को स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) जी नहीं । उत्पादक केन्द्रों को आयोग के अनुदान जारी हैं और बन्द नहीं किये गये । क्या आयोग ने ६ अप्रैल १९६४ से, अब तक प्रचलित बिक्री पर छूट की योजना के स्थान पर निशुल्क बुनाई सहायक योजना चालू की है । नवीन योजना का उद्देश्य कपड़े के मामले में स्वावलम्बिता लाना और मिल से बने कपड़े के साथ मुकाबला करने के लिये खादी के लिये वर्तमान बाजार को बढ़ावा देना है ।

(ग) आयोग, किस्म को सुधारने पर जोर दे रहा है और क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिये तेज आन्दोलन करने के लिये प्रयत्नशील है । आशा है कि कुछ उद्योग कुछ वर्षों में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकेंगे ।

## किरिबुस खानें

२७८३–क. **श्री ह० च० सोय** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरिब्रुश खानों के कुल श्रमिकों में कितने प्रतिशत श्रमिक आदिवासी हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि श्रम कल्याण अधिकारी तथा उसके कर्मचारीगण अनुसूचित आदिम-जातियों की भाषा नहीं जानते ; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रशिक्षण में नवीनता लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) मस्टरोल आधार पर तथा नियमित आधार पर काम करने वाले आदिवासी श्रमिकों की प्रतिशतता क्रमशः ७३ और ३ है ।

(ख) और (ग) श्रम कल्याण अधिकारी अभी नियक्त नहीं किया गया । अन्य श्रम कल्याण कर्मचारियों संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

## अमरीका से रूई का आयात

२७८३–ख. **श्री ह० च० सोय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को रूई देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) जी हां । अमरीका सरकार ने पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत भारत को ३०,००० अमरीकी रूई की गांठें, जो लगभग ४७० लाख डालर के मूल्य की होती हैं, देना स्वीकार कर लिया है ।

**दिल्ली सहकारी इंजीनियरिंग तथा तेल उत्पादन औद्योगिक संस्था, लिमिटेड**

२७८३-ग. **श्री कोया :**
**श्री अब्दुल गनी गोनी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी इंजीनियरिंग तथा तेल उत्पादन औद्योगिक संस्था लिमिटेड, दिल्ली के काम बन्द कर दिया गया है, क्योंकि इसने सरकार को बहुत बड़ी राशि देनी है, और

(ख) यदि हां, तो सरकारी निधि वसूल करने के लिये और अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

## लघु उद्योग निगम, उड़ीसा सम्बन्ध दिनांक ३ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२५ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U.S.R. No. 1825, DATED 3-4-1964 RE : SMALL SCALE INDUSTRIES CORPORATION, ORISSA

**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अतारांकित प्रश्न संख्या १८२५ के उत्तर में अन्य बातों के अलावा यह बताया गया था कि १९६४–६५ के लिये राज्य सरकार का २ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि, लघु उद्योग निगम, उड़ीसा, में जमा करने का विचार है ।

राज्य सरकार ने इस बीच भारत सरकार को सूचित किया है कि वह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**पूंछ के बिजली घर में हुआ बम विस्फोट**

**Shri Mohan Swarup** (Pilibhit) : I rise to call the attention of the hon. Home Minister to the following matter of Urgent Public Importance and request him to give a statement in regard thereto, namely :

"Bomb explosion in Poonch Power House on 30th April, 1964, as a result of which water pipe for the Power House was damaged."

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : यह विस्फोट कल ८.३० बजे हुआ और बिजली घर को पानी पहुंचाने वाला पाईप क्षतिग्रस्त हो गया । अभी इस घटना की जांच हो रही है इसलिये अन्य जानकारी मिलते ही सभा को दे दी जायगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कल तक आप ब्यौरा दे सकेंगे ।

**श्री हाथी** : जी हां । परन्तु अभी घटना की जांच हो रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कल इस मामले को लिया जायगा । माननीय मंत्री जितनी जानकारी देना संभव हो दें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : स्टेट्समैन में एक अन्य खबर प्रकाशित हुई है कि जम्मू से लगभग १५० मील की दूरी पर मेंझर में कल एक प्लास्टिक का बम फटा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस घटना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ के अन्तर्गत अधिसूचना

**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ये० सुब्रह्मण्यम)** :

मैं (१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८४१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८२२/६४]**

### नारियल जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) तीसरा संशोधन नियम, १९६४ तथा रबड़ बोर्ड कर्मचारियों का आचरण (संशोधन) नियम, १९६४

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(२) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उपधारा ३ के अन्तर्गत दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर ५८५ में प्रकाशित नारियल-जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) तीसारा संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८२३/६४]**

(३) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३२७ में प्रकाशित रबड़ बोड कर्मचारियो का आचरण (संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८२४/६४]**

## भारतीय उत्पादकता दल के प्रतिवेदन

**श्री मनुभाई शाह :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(४) जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी में संयंत्र लगाने सम्बन्धी पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में भारतीय उत्पादकता दल की रिपोर्ट की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८२५/६४]**

(५) जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी में हल्के बिजली के सामान बनाने के उद्योग के बारे में भारतीय उत्पादकता दल की रिपोर्ट की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८२६/६४]**

## बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) (संशोधन) आदेश, १९६४ तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिसूचना

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(६) अन्तर्राज्यीय निगम एक्ट, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२१९ में प्रकाशित बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) (संशोधन) आदेश, १९६४ ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८२७/६४]**

(७) अखिल भारतीय सेवायें एक्ट, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९६४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मई, १९६४ की जी० एस० आर० ८१६ ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८२८/६४]**

## उन मामलों का विवरण जिनमें इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये

**सम्भरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :**

मैं (८) ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाली छमाही में उन मामलों का विवरण जिनमें इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेण्डर स्वीकार नहीं किये गये, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८२९/६४]**

राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे सचिव, राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने २१ अप्रैल, १९६४ की अपनी बैठक में १ मई, १९६४ से वर्तमान लोक-सभा की समाप्ति तक लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा के पांच सदस्यों को चुनने के हेतु एक प्रस्ताव स्वीकार किया है और उक्त समिति के लिये निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भेजे हैं :—

(१) श्री आबिद अली

(२) श्री लोक नाथ मिश्र

(३) श्री एन० एन० गोविन्दन्नायर

(४) श्री पी० एस० पट्टाभिरामन्

(५) श्री एम० गोविन्द रेड्डी

(दो) कि राज्य सभा के लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९६४ को पारित किये गये समवाय (लाभ) अतिकर बिल, १९६४ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

---

याचिका का उपस्थापन

## PRESENTATION OF PETITION

**Shri Mohan Swarup** (Pilibhit) : I present a Petition signed by petitioner Shree Agrawal, regarding the Civil Procedure Code, 1908.

---

## सभा का कार्य और लोक सभा के आगामी सत्र के बारे में घोषणा

## BUSINESS OF THE HOUSE AND ANNOUNCEMENT RE : NEXT SESSION OF LOK SABHA

**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मुझे ४ मई, १९६४ को आरम्भ होने वाली आगामी सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करनी है :

(१) पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६४ (आगे विचार तथा पारित करना)

(२) दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६३ (**विचार तथा पारित करना**)

(३) भेषज तथा शृंगार-सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६४, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (**विचार तथा पारित करना**)

(४) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९६४, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (**विचार तथा पारित करना**)

(५) दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) विधेयक, १९६३, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (**विचार तथा पारित करना**)

(६) वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६४ (**विचार तथा पारित करना**)

(७) गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक, १९६३, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में। (**विचार तथा पारित करना**)

(८) भारत का/राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६३ (**विचार तथा पारित करना**)

(९) सोमवार, ४ मई, १९६४ को ४ म० प० बजे श्री हरिश्चन्द्र माथुर नव-स्वतंत्र अफ्रीकी देशों से आने वाले भारतीयों के बारे में नियम १९३ के अन्तर्गत उठाई जाने वाली चर्चा।

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) The Constitution (Seventeenth Amendment) Bill could not be passed because it could not secure the required majority vote. Will that Bill be again brought before the House in this very Session ?

**श्री रंगा** (चित्तूर) : हम चाहते हैं कि यह आश्वासन दिया जाय कि, तुरन्त एक अन्य सत्र की घोषणा कर के इस विधेयक को पारित करने की बजाय अगस्त में होने वाले सत्र में ही इस विषय में अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ताकि सरकार को इस बारे में पुनः विचार करने का अवसर मिल सके ?

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : काश्मीर की वर्तमान स्थिति और शेख अब्दुल्ला की रिहाई के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों की दृष्टि से यह वांछनीय है कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले काश्मीर की समस्या के बारे में सभा में चर्चा हो।

**श्री रंगा** : हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं आपको नहीं माननीय मंत्री को सम्बोधित करके कह रहा हूं। मैं उन से उत्तर चाहता हूं।

**श्री रंगा** : मैं अध्यक्ष महोदय को बता रहा हूं। माननीय सदस्य तो मेरे समान एक सदस्य हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं माननीय सदस्य के समान एक सदस्य तो हूं परन्तु उनके सिद्धान्तों से मैं सहमत नहीं हूं।

**श्री रंगा :** माननीय सदस्य चीन के एजेंट हैं . .

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

**श्री रंगा :** माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने चाहिये . . . . **(अन्तर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय :** जब मैं बोलता हूं तो किसी भी माननीय सदस्य को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जहां तक श्री स० मा० बनर्जी के कथन का सम्बन्ध है, उन में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** एक तो हम इस बोनस आयोग के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और दूसरे, सत्र के समाप्त होने से पहले महंगाई भत्ते के बारे में आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिये ।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnor) : Sheikh Abdullah is holding talks these days with the Prime Minister regarding the future of Kashmir. The eyes of the whole nation are set on them and also on this Parliament. Therefore, it is desirable that a discussion in this regard should be held in this House before this House adjourns on the 6th of May. Such a discussion would clear the misgivings of the people, and the other countries will be able to arrive at specific conclusions accordingly.

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री और शेख अब्दुल्ला के बीच हो रही बात चीत के सिलसिले में जब तक प्रधान मंत्री किसी निर्णय पर न पहुंचे और जब तक वह सभा में इस विषय में वक्तव्य देने की स्थिति में न हो तब तक ऐसी चर्चा का विशेष लाभ नहीं हो सकेगा ।

**Shri Bade** (Khargon) : The whole nation feels agitated over the statements made by Sheikh Abdullah. I also feel that a discussion regarding this issue should be held here before the end of the current session. Thereby the Government will be able to sense the views of the House.

**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : सभा की काश्मीर की समस्या के बारे में राय चा कुछ भी हो परन्तु इस समय शेख अब्दुल्ला और प्रधान मंत्री के बीच बातचीत चल रही है हमें उस में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालनी चाहिये। जब तक स्वयं प्रधान मत्री किसी निश्चय तक न पहुच जायें तब तक सभा में चर्चा उठाने का कोई लाभ नही होगा। परन्तु इसके बावजूद भी मैं महसूस करता हूं कि इस सत्र की समाप्ति से पहले प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह संसद् को विश्वास में लें और बतायें कि चल रही बातचीत का ब्योरा क्या है । हम नहीं चाहते कि सत्र समाप्त होने पर संसद् की उपेक्षा कर के कोई अन्तिम निर्णय इस बारे में लिया जाए। इसलिये प्रधान मंत्री जैसे उपयुक्त समझे ससद् को विश्वास में ले कर इस मामले पर रौशनी डालें।

**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : अब चूंकि शेख अब्दुल्ला और देश के नेताओं में काश्मीर के सिलसिले में बातचीत चल रही है इसलिये मैं समझता हूं कि यहां चर्चा उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस विषय में संसद् की मत्रणा अवश्य ली जानी चाहिये। यदि सत्र समाप्त होने से पूर्व कोई निश्चय हो जाये तो प्रधान मंत्री वक्तव्य

दे सकते हैं अन्यथा मेरा सुझाव है कि इस विषय पर चर्चा के लिये एक विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार को इस बारे में स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिये। संसद् की मंत्रणा भी ली जानी चाहिये।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं भी यही चाहता हूं कि सरकार सभा की उपेक्षा कर के कोई निर्णय न ले। प्रधान मंत्री को सभा में वक्तव्य दे कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

**श्री सत्य नारायण सिंह** : जहां तक संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक का संबंध है उसे पारित करने के लिये हम ने २७ या २८ मई को एक विशेष सत्र बुलाने का निश्चय किया है। इस प्रकार हमें नियम को निलम्बित नहीं करना पड़ेगा ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों के विचारों से प्रधान मंत्री को अवगत करा दूंगा और यदि उन्होंने वांछनीय और उचित समझा तो वह इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। सभा में इस बारे में चर्चा उठाने का कोई लाभ तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रधान मंत्री और शेख अब्दुल्ला में चल रही बात चीत समाप्त न हो जाये और जब तक कि वह किसी अन्तिम निर्णय पर न पहुंच जायें। २७ या २८ मई, को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उस में यदि आवश्यक हुआ, तो चर्चा भी हो सकती है। सरकार संसद की उपेक्षा कर के ऐसे महत्वपूर्ण मामले में कोई निर्णय नहीं लेगी ।

बोनस आयोग के बारे में अगले सत्र में, यदि सम्भव हुआ तो बताया जायेगा। जहां तक महंगाई भत्ते सम्बन्धी चर्चा का प्रश्न है मैं वित्त मंत्री से बात कर के सोमवार को बताऊंगा।

**Shri Buta Singh :** I want to know whether a discussion on the Reports of the Scheduled Castes Commissioner in respect of years 1962-63 and 1963-64 will by held during the current session, and if it is not possible to do so, can the Hon. Minister assure that the said reports will be discussed during the next Session ?

**Shri Satya Naryan Sinha :** Without consulting the Minister I cannot say anything about this.

---

## बोकारो इस्पात परियोजना के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE : BOKARO STEEL PROJECT

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं बोकारो इस्पात प्रायोजना के बारे में एक वक्तव्य देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सदन में बोकारो इस्पात प्रायोजना के लिये धन जुटाने, विशेषतः साजसामान के आयात के लिये विदेशों से सहायता प्राप्त करने के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की जाती रही है जिससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूं। जैसा कि सदन को विदित है, संयुक्त राज्य अमरीका से इस प्रायोजना के लिये सहायता की प्रार्थना को वापिस लेने के पश्चात हमने अपने परामर्श-दाताओं द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट विवरणों के आधार पर विश्व टेंडर आमंत्रित करने का विचार किया था। हमारा विचार यह था कि सफल टेंडरों के आधार पर हम विभिन्न देशों से ऋण प्राप्ती के बारे में

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

बातचीत करेंगे। विभिन्न देशों के इस्पात संयंत्र निर्माताओं ने टेंडरों में भाग लेने में काफी रुचि दिखाई थी। हम सोवियत संघ से, जिन्होंने भारी इंजीनियरी, बिजली और इस्पात की कई प्रायोजनाओं में हमे बड़े पैमाने पर सहायता दी है, सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे थे।

मुझे इस सदन को तथा सारे देश को यह सूचना देते हुए बड़ा हर्ष है कि सोवियत सरकार ने अब सर्वतोमुखी बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण करने के लिये भारत को सहायता देना मंजूर कर लिया है। प्रायोजना के प्रथम चरण में १.५ मिलियन मीटरी टन इस्पात पिण्डों का उत्पादन किया जायेगा। कारखाने में ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे बाद में ४ मिलियन मीटरी टन पिण्डों का उत्पादन करने के लिये इसका विस्तार किया जा सके। इस समय सोवियत सरकार ने जो सहायता देनी मंजूर की है वह बोकारो के प्रथम चरण के लिये है, जिसमे १.५ मि० मी० टन पिण्डों का उत्पादन किया जायेगा। ऋण की शर्तें वही होगीं जो भिलाई इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये थीं।

अन्य तकनीकी ब्यौरे तैयार करने हैं और उनके लिये एक करार किया जाना है। इस उद्देश्य से सोवियत विशेषज्ञों का एक दल शीघ्र ही भारत आ रहा है।

मैं इस अवसर पर सोवियत सरकार को धन्यवाद देता हूं जिसने हमारी इस राष्ट्रीय योजना के निर्माण में सहर्ष सहायता देना स्वीकार किया है जिसका हमारे देश की आर्थिक प्रगति में विशेष महत्व है। हमारे देश के मूल उद्योगों के आयोजन और निर्माण में सोवियत सरकार की हमे बहुत सहायता मिली है। मेरा विश्वास है कि ऐसी बहुत सी भावी प्रायोजनाओं के निर्माण मे भी हम उनकी मैत्रिक सहायता पर भरोसा कर सकते हैं।

मैं इस अवसर पर उन अन्य देशों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बोकारो प्रायोजना के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई है। वास्तव मे, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली के कुछ निजी इस्पात निर्माताओं ने हमारे विचार के लिये कुछ अस्थायी प्रस्ताव रखे हैं। मैं विदेशों में रहने वाले इन मित्रों को सूचित करना चाहता हूं कि हमे निकट भविष्य में केवल बोकारो प्रायोजना का ही निर्माण नहीं करना है। हमारा इरादा है कि अन्य इस्पात कारखानों के निर्माण करने के लिये, जो इस समय हमारे विचाराधीन हैं, हम इन मित्रों से सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या यह सहायता ऋण के रूप में दी जायेगी या तकनीकी सुविधाओं के रूप मे।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : रूप द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता दी जायेगी।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : क्या ५वें इस्पात संयंत्र सम्बन्धी काम अभी आरम्भ किया जायेगा ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां।

# नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक

## COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ३० अप्रैल, १९६४ को श्री मनुभाई शाह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । पिछले वर्षो मे विदेशी मंडियाँ ढूँढने मैं हम असफल रहे हैं । कई कारखाने बन्द पड़े हैं और बहुत से लोग बेकार हो गये हैं । परन्तु जब से नारियल जटा बोर्ड बना है, तब से स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

श्री वासुदेवन नायर का यह कहना गलत है कि नारियल जटा से निर्मित माल का निर्यात कम हुआ है । वर्ष १९६२ की तुलना में वर्ष १९६३ में १,०७१,००० किलोग्राम अधिक माल का निर्यात हुआ परन्तु इसी अवधि मे धागे का निर्यात १,७४६,००० किलोग्राम कम हो गया । मैं समझता हुं कि यह अच्छी प्रवृत्ति है ।

यदि हमे अपने माल के निर्यात को बढ़ाना है और इस प्रयोजनार्थ माल की किस्म में सुधार लाना है, तो इस उद्योग का यंत्रीकरण करना आवश्यक है । यंत्रीकरण से उद्योग की स्थिति में सुधार होगा । निर्यात बढ़ेगा तो विदेशों मुद्रा भी बचेगी और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा । परन्तु यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप, जो श्रमिक बेरोजगार हों जायेंगे उन को अन्य उधोगों मे काम पर लगाना होगा । इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इस उद्योग के सिलसिले में एक विचारणीय बात यह है कि नारियल जटा से तैयार माल के लिये मंडियों का सुधार किया जाय । मेरा सुझाव है कि सरकारी विभाग और अन्य सरकारी निकाय नारियल जटा से तैयार माल को ही खरीदें ।

इस उद्योग से सम्बन्धित अन्य उद्योग भी हैं, जैसे रबड़ मिला कर नारियल जटा से तैयार किये हुए माल सम्बन्धी उद्योग, जिन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इस के अतिरिक्त, नारियल के चूरे का दो-तिहाई भाग प्रयोग नहीं लाया जाता । यदि इसे प्रयोग मे लाने के काम मे सफलता प्राप्त हो जाए तो देश के उन भागों मे भी, जहां नारियल जटा उद्योग के लिये आवश्यक पानी उपलब्ध नहीं है, यह उद्योग पनप सकता है ।

मेरा अनुरोध है कि नारियल जटा से तैयार माल पर जो शुल्क बढ़ाया गया है वह कम कर दिया जाय और प्राप्त की गई राशि वापस की जाए ।

**श्री नि० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन ) : आखिरकार इस मामले में मंत्री महोदय ने कुछ किया है इसके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं । जटा उद्योग बोर्ड पिछले १० वर्षो से कार्य कर रहा है परन्तु मुझे इस बात का पता नहीं कि इसका क्या परिणाम निकला है । मेरा विचार तो यह है कि जटा उद्योग अन्तिम सांस ले रहा है । यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये कष्ट का कारण बन गया था । यह भी नहीं कि इसके द्वारा किसी को रोजगार ही मिला हो । पिछले १५ वर्षो से

[श्री नि० श्रीकान्तन नायर]

यह एक बड़ी भारी मुसीबत बना हुआ था। परन्तु अब आशा हो गई है कि इस उद्योग को जिसमें हजारों परिवार लगे हुए हैं किसी न किसी तरह से बचा लिया जायेगा। मेरा विचार है कि यन्त्रीकरण कर देने से उद्योग के मुख्य दोष दूर हो जायेंगे तथा इससे हजारों परिवार बच जायेंगे जो आज इस दशा में हैं कि उन्हें न्यूनतम मजूरी भी प्राप्त नहीं हो रही।

चटाइयों के सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि इनकी विदेशों में काफी मांग है अतः इसकी किसमों को सुधारने के लिये प्रयोग किये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में हमारी तैयार की हुई वस्तुओं पर बहुत अधिक शुल्क है अतः इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिये। यह भी बात है कि हमें इस बात का विश्वास नहीं हो सकता कि संयंत्रों के यन्त्रीकरण से मांग दुगनी हो जायेगी। यह कोई ज़रूरी वस्तु नहीं है केवल एश्वर्य की चीज़ है। केवल सरकार की सहायता से ही इस उद्योग को बचाया जा सकता है।

उधोग के लिये निश्चित न्यूनतम मजूरी १,रु ४ आने है परन्तु श्रमिकों को वास्तव में अधिक से अधिक दस या बारह आने ही दिये जाते हैं। इस स्तर पर १५ लाख व्यक्तियों को रोजगार में लगाने का कोई लाभ नहीं है। यदि मूल्य बढ़ते भी हैं तो बीच के लोग लाभ कमाते हैं और श्रमिक को मजूरी नहीं मिलती। जब तक उद्योग का पूर्णरूपेण नियंत्रण नहीं होता, लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

इस उधोग के डावांडोल होने का यह भी गारण है कि भीषण प्रतिस्पर्धा चल रही है और इसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त नारियल को भयानक रोग लग जाता है। जिससे काफी हानि उठानी पड़ जाती है। एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केरल मे कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तर के लोग दक्षिण के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि केरल में कोई बड़ा उद्योग तो है ही नहीं कोई प्रतिरक्षा उद्योग भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि नारियल उद्योग को प्रारम्भिक अवस्था से ले कर निर्यात की अवस्था तक नियन्त्रित किया जाना चाहिखे। इसके बिना यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। १४ लाख रुपये से कुछ नहीं बनेगा।

**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : इस विधेयक द्वारा जटा बोर्ड के कार्यों का विस्तार किया गया है ताकि इस तरह दिये जा रहे अधिकारों को विशेष कारखानों के लिये प्रयोग में लाया जा सके और आवश्यकता हो तो अनुदान भी दिया जा सके। इस उद्योग के विकास के लिये सरकार ने ३.१३ करोड़ रुपये की व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की है। मेरा निवेदन है यदि नारियल उगाने वाले सभी राज्यों में उद्योग के विकास के लिये उपाय किये जायें और पर्याप्त सुधार किया जाय तो अच्छा होगा।

पश्चिम बंगाल में उद्योग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहां बहुत से नारियल के पेड़ हैं परन्तु लोग इंधन के अतिरिक्त छाल का और कोई उपयोग ही नहीं जानते। इस बात का ध्यान रखा जाये कि छाल व्यर्थ न जाये। नारियल जटा उद्योग इस बात का ध्यान रखे कि छाल उत्पादकों को लाभदायक मूल्य मिले। बिजली के इस्तेमाल द्वारा रबड़युक्त नारियल जटा रेशे की व्यवस्था की जाये ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट का मुकाबला कर सकें। मुझे विश्वास है कि उद्योग के विकास के लिये सरकार सभी सम्भव प्रयत्न करेगी। इन शब्दों में से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**Shri Yashpal Singh** (Kirana) : On the one hand the Government are of the opinion that our plans should be employment oriented, and on the other hand it is said that the Cottage Industries of Mahatma Gandhi should be established. But there is no provision in the Bill that the people who have been rendered unemployed by mechanisation would be employed in the Mechanised industry.

The other thing which I could not understand that the Coir Board had been empowered to impose Customs duty on the exports. I want to urge that no duty should be imposed without the specific approval of the Parliament, Board should have the powers to recommend only.

Together with that section 6 and 7 which authorized the Auditor General to control the income and expenditure of the Board were Salutary provisions. For this I congratulate the Minister and hereby give my support to the bill.

**श्री स० चं० सामन्त** (तायलुक) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान काफी होने चाहिये ताकि इस दिशा में ठीक ढंग से व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी ठोस तथ्य है कि विधेयक में मजदूरों के लिये काम करने की अच्छी हालतों और सुविधाओं के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। यह बहुत ही दुःखद बात है।

इसके अतिरिक्त इसमें पंजीयन तथा रेटिंग स्थानों, नारियल जटा के तकुओं, करघों और नारियल जटा बनाने के लिये अन्य सामान के लिये लाइसेंस देने का भी कोई उपबन्ध नहीं है। यह तो अच्छा है कि सरकार एक पतिहाई उद्योग का यंत्रीकरण करना चाहती है। इससे बेकारी फैल सकती है परन्तु निर्माण व्यय कम हो जायेगा। इससे किस्म भी अच्छी हो जायेगी, और इस तरह निर्यात करने पर यह अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में अन्य देशों का मकाबला कर सकेगी।

रबड़कृत (रबराइज्ड) नारियल जटा उत्पादन यंत्रीकृत कारखानों में बनेगी। मुझे इस बात का सन्तोष है कि कदामकुलम और उलुबेरिया में जो अनुसन्धान केन्द्र खुले हैं, वे ठीक काम कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि उनमें ठीक से कर्मचारी होने चाहिये और उन्हें सभी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें। इस उद्योग के सम्बन्ध में मेरा यह भी सुझाव है कि प्रदर्शनियां इत्यादि करके देश भर में इसका उपयोग बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि लेखा परीक्षण का कार्य केरल के महालेखापाल से हटा कर महानियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक को दे दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, मैं विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़-उत्तर) : कुछ बात स्पष्ट नहीं हुई कि विधेयक केवल उद्योग के चटाई विभाग के यन्त्रीकरण के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किया जा रहा है, अथवा उद्योग के अन्य विभाग भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार जटा का केवल १५ अथवा २० प्रतिशत भाग ही प्रयोग में लाया जा रहा है। जटा सहकारी संस्थायें बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो रही हैं। इस फैक्टरी में जो लोग काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मजूरी नहीं मिल रही, मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

[डा० सरोजनी महिषी]

इस उद्योग के बारे में जो अनुसन्धान कार्य हो रहा है, उद्योग में अनसन्धान को परिणामों को ठीक ढंग से प्रयोग में लाना चाहिये। मेरा यह भी कहना है कि उचित ढंग से बनाई गई वस्तुओं का अधिक निर्यात किया जाना चाहिये। रेशे और टाट का निर्यात कम किया जाना चाहिये। जो चीजें बनाई जाती हैं, वे क्यों निर्यात नहीं हो रहीं, इनके कारणों का पूरा पूरा पता लगाया जाना चाहिये। यह भी खेद की बात है कि नारियल जटा प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित लोगों को कहीं रोजगार ही नहीं मिलता। वे बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं।

यन्त्रीकरण तो अच्छी चीज है, परन्तु इससे शीघ्रता हो सकती है। इससे चीजें बड़े व्यापक पैमाने पर बनायी जा सकती है। परन्तु इस दिशा में बेकारी का प्रश्न बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण है। उसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। सहकारी संस्थायें भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। श्रमिक वर्ग के लोग अपनी झोंपड़ियों में ये चीजें बनाते हैं और अपनी इच्छा से उन्हें बाजार में बेचते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिये। उनको संगठित किया जाना चाहिये और उन्हें अच्छी मजदूरी और अच्छी सुविधायें दी जानी चाहिये। इससे हमें बहुत अच्छी मात्रा में विदेशी विनियम प्राप्त हो सकता है।

**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : इस उद्योग का प्रायः अन्त ही हो रहा है। सरकार को इसके कारणों का पता करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मेरे विचार में सरकार की रुचि इसमें इसलिये है कि इससे अच्छा विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु हम इस बारे में मुकाबले में खड़े नहीं हो पा रहे। मेरा निवेदन है कि यंत्रीकरण का प्रयोग आरम्भ करने से पहले, इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या नया यंत्रीकृत उद्योग विदेशों के मुकाबले में नागरिक प्रभावों का निराकरण कर सकेगा। सारी बातों का विचार कर लिया जाना चाहिये।

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मुझे इस बात का हर्ष है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया है। मैं शरू में ही उन सन्देहों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो कि माननीय सदस्य श्री यशपाल सिंह ने व्यक्त किये हैं। कुटीर और ग्रामोद्योगों का समर्थन करने की बात से विधेयक भिन्न नहीं है। यंत्रीकरण का उद्देश्य उत्पादन-व्यय कम करना है ताकि अच्छी किस्म की चीजें बनाई जा सकें। भविष्य में इससे रोजगार कम होने की बजाय बढ़ेगा। यह आवश्यक है कि विदेशों के मुकाबले का सामना करने के लिये आधुनिक तकनीक धीरे धीरे भारत में अपनाई जाय।

नारियल जटा बोर्ड के बनने के बाद से, निर्यात और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है और केवल सूत के निर्यात में थोड़ी कमी हुई है। चटाइयों का निर्यात निरन्तर बढ़ रहा है। युरोप के पश्चिमी देशों ने हमारी नारियल-जटा की चटाइयों पर भारी शुल्क लगा दिया है। अल्पविकसित देशों की सहायता करने के लिये उन्हें यह शुल्क समाप्त करना चाहिये।

चटाइयों के उत्पादकों को निर्यात संवर्धन के रूप में अधिक सहायता दी जा रही है। रटरों को लाइसेंस देने से हजारों गरीब लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना होगा क्योंकि वे तो कम वेतन

होने के कारण पहले ही बहुत परेशान है। वहां न्युनतम मजुरी अधिनियम लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि उद्योग में लाखों लोग लगे थे और राज्य की संगत व्यवस्था वहां से कानून लागू नहीं कर सकी ।

नारियल जटा और उसके उत्पादों पर ९० नया पैसा प्रति क्विन्टल का शुल्क पूर्णत । समाप्त कर दिया गया है ताकि उद्योग को राहत मिले । यदि यंत्रीकरण से बेकारी फैलती है, तो बेकार हुए प्रत्येक व्यक्ति को बैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा । यदि अनुसन्धान के परिणामों को लागू किया गया, तो हो सकता है कि इससे बहुत से क्षेत्रों में बेकारी फैल जाय । भारत नारियल जटा के सूत का सर्वोत्तम प्रयोग कर रहा है । हमने नमुने के लिये थोड़ी मात्रा को छोड़ कर, छाल का निर्यात करने पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया है।

आरम्भ में यंत्रीकरण केवल बुनाई क्षेत्र का होगा और संभव है कि बाद में कताई क्षेत्र का भी हो। रबड़-कृत नारियल जटा की वस्तुएं बनाने के लिये अगले कुछ सप्ताहों में चार कारखाने चालू हो जायेंगे । फिर भी, विदेशों में उनके प्रयोग होने का क्षेत्र कम है क्योंकि वहां प्लास्टिक आदि की वस्तुएं हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि देश में नारियल जटा की वस्तुओं का प्रयोग बढ़े । इस समय देश में इसका प्रयोग ८ से ९ प्रतिशत तक होता है । हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों को इसके प्रयोग के लिये कहा जायेगा । प्रतिरक्षा मंत्रालय, सम्भरण विभाग तथा राज्य सरकारें इसकी खपत बढ़ा सकते हैं । अधिक से अधिक शो-रूम और डिपो खोले जायेंगे । अभी हाल ९ शो-रूम काम कर रहे हैं । सरकारी ऋण और अनुदान से और शो-रूम भी खोले जायेंगे । ऐसा करने से उद्योग बड़े ठोस आधारों पर कुछ आगे प्रगति कर सकेगा ।

मझे आशा है कि मैंने सब बातों को स्पष्ट कर दिया है जो कि चर्चा के समय माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये थे । मैं यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी कहा गया है उस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करके जो कुछ भी सम्भव होगा इस दिशा में किया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि इस विधान को स्वीकार किया जाय ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ७ तक विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड २ से ७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 2 to 7 were added to the Bill.**

खण्ड १--(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :

**Amendment made :**

पृष्ठ १, पंक्ति ४ " 1963 " ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाय ।

[श्री मनुभाई शाह]

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause I, as amended, was added to the Bill.**

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

**Amendment made :**

पृष्ठ १, पंक्ति १ " fourteenth " ["चौदहवां"] के स्थान पर " fifteenth" ["पंद्रहवां"] रखा जाय ।

[श्री मनुभाई शाह]

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**The enacting formula, as amended, was added to the Bill.**

**विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**The Title was added to the Bill.**

**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

# करारोपण विधियां (वसूली की कार्यवाही को जारी रखना और वैध बनाना) विधेयक

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी देय राशि के बारे में कार्यवाही को जारी रखने और वैध बनाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक का उद्देश्य यह है कि करदाताओं के विरुद्ध बकाया करों की वसूली के लिए जो कार्यवाही आरम्भ की गयी है उसका उचित रूप में जारी रहना और प्रभावी बना रहना सुनिश्चित हो जाय । परन्तु यह कार्य उन करदाताओं के उचित अधिकारों के प्रति पक्षपात नहीं करेगा जो अपने कर की मात्रा के बारे में आपत्ति करें । हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस निर्णय के कारण कि निर्धारण आदेश के आधार पर की गयी मांग अपीलीय निरीक्षात्मक प्राधिकार द्वारा बदल दी जाय तो, ऐसे प्राधिकार के साथ मिला हुआ मूल आदेश, और मूल मांग आदेश के प्रसंग में कर की वसूली के लिए की गयी कार्यवाही विधानानुसार अनिवार्य मानी जायेगी । निर्णय में जो सिद्धान्त दिये गये हैं, उनके आधार पर सभी मामलों में कर प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो जायेगा कि जहां कहीं भी मूल आदेश पर आधारित मांग अपील करने पर कम कर दी गई हो, वहां पर मांग का नया नोटिस जारी होने से रोकी गयी मांग के भाग की वसूली के लिए आरम्भ से कार्यवाही की जाय । ऐसे मामलों में करदाता को अदायगी करने के लिए फिर से समय मिलना चाहिये, चाहे करदाता के कर में थोड़ी ही कमी हुई हो और उसे कर की अदायगी के लिए पहले ही महीनों या वर्षों मिल गये हों ।

इस निर्णय के अनुसरण में, कर निर्धारण आदेश की पुष्टि हो जाने पर भी कर की वसूली के लिए विधिनुसार नये सिरे से कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

करारोपण के मामले में नागरिकों के अधिकार और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है । किन्तु आय कर अधिनियम के अधीन यदि कोई करदाता अधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है तो वह अपील कर सकता है और कर की विवादग्रस्त रकम की वसूली रोक देने की मांग कर सकता है । यथार्थ विवाद के मामलों में आवेदन के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् आयकर पदाधिकारी के लिए कर की वसूली रोकना अनिवार्य है । यदि अपील में कर की रकम में कमी की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है तो उस स्थिति में बकाया रकम की मांग रोक देना आयकर पदाधिकारी के लिए आवश्यक है । वसूली के नोटिस में दिये गये समय के अन्दर विवाद रहित कर की राशि जमा न करने पर दण्ड देने का अधिकार भी आयकर अधिकारियों को दिया गया है किन्तु दण्ड के रूप में शुल्क वसूल करने से पहिले करदाता को अपने बचाव में कुछ कहने के लिए युक्तिसंगत अवसर प्रदान करना आयकर अधिकारी के लिए अनिवार्य है । इस प्रकार करदाता को एक और अवसर मिल जाता है । फिर, दंड शुल्क के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है ।

करदाताओं के वैध अधिकारों के संरक्षण के लिए यह उपबन्ध आवश्यक है किन्तु ऐसे अगणित मामले हैं जिन में पर्याप्त आय के बावजूद भी लोग कर नहीं चुकाते हैं । कर जमा करने के लिए

[श्री ति० त० कृष्णचारी]

बल देने पर कइ व्यक्ति न्यायालयों से रोक आदेश प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और सामान्य आधार पर वसूल की कार्यवाही में रुकावट आ जाती है। निस्संदेह ही विभाग को ऐसे मामलों में अधिकांशत: सफलता मिलती है किन्तु इसमें काफी समय लग जाता है और बेईमान करदाता इसी बीच अपनी सम्पत्ति की वसूली अथवा हस्तांतरण के लिए बेनामी सौदों का आश्रय लेते हैं अथवा किसी प्रकार वसूली को टालने की कोशिश करते हैं। अत: हम यह बात स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं कि अपील या पुनर्विचार के लिए रखी गई रकम को वसूली से मुक्त कर दिया जाये या फिर उसकी वसूली के लिए नये सिरे से कार्यवाही की जाये। यदि यह बात मान ली जाय तो कर की वसूली के लिए की गई पिछली समस्त कार्यवाही निरर्थक ही होगी भले ही अपील में अधिकांश राशि की मांग को उचित ही क्यों न करार दिया गया हो। इससे सरकार को मिलने वाली कर की राशि वसूल करने में काफी समय लग जायेगा और अनेक मामले गड़बड़ में पड़ जायेंगे। अत: विधेयक में सरकारी करों आदि की वसूली के बारे में विद्यमान प्रक्रिया को जारी रखने और वैध मानने का उपबन्ध किया गया है। इसमें आगे यह प्रयत्न किया गया है कि जहां कहीं मांग में कमी सम्बन्धी आदेश अन्तिम रूप से जारी हो जाय और जिन मामलों में किसी करदाता पर कर की अदायगी न करने के अपराध के लिए किये गये जुर्माने की राशि उस कम की गई राशि से अधिक हो तो जुर्माने की अधिक राशि के वसूल नहीं किया जायेगा तथा यदि यह राशि पहिले वसूल की गई हो तो वह लौटा दी जायेगी। इससे उस करदाता के हित की रक्षा होगी जो किये गये जुर्माने के विरुद्ध अपनी अपील में सफल नहीं हो सका या उसकी अपील दाखिल नहीं की गई।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय वर्तमान रूप में प्रक्रिया सम्बन्धी मामले से सम्बन्धित है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो कर से वसूल होने वाली राशियों का वास्तविक अनुमान नहीं लग सकेगा। प्रश्न यह नहीं है कि हम किसी कानूनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, किन्तु प्रश्न मुख्य रूप से प्रक्रिया की व्याख्या का है जिसके बारे में यदि कानून में सुधार करके पर्याप्त उपाय न किये जायें तो सरकार को हानि होगी।

इस विधेयक में करदाता के वैध अधिकारों का हनन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। किन्तु विभाग पर नोटिस जारी करने का अधिक भार डाले बिना कर की वसूली को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री हेडा** (निजामाबाद) : यह खुशी की बात है कि देश में करदाताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। मंत्री महोदय के अनुसार इस समय कुल करदाताओं की सख्या १६.४ लाख है, जब कि यह संख्या ७-८ वर्ष पहिले केवल ५ लाख थी। करदाताओं की वास्तविक संख्या मंत्री महोदय द्वारा बताई गई संख्या से कहीं अधिक होगी किन्तु ये लोग करों से बचने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं। सरकार को इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आज समय आ गया है जब आयकर तथा अन्य करों की वसूली की सारी प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि करों की अधिक से अधिक राशि वसूल की जा सके।

बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जिनकी आय का निर्धारण करना आयकर अधिकारियों के लिये असंभव है। उदाहरणार्थ, पान बेचने वाले की आय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक

पान ५ नये पैसे से लेकर १ रुपये तक या इससे अधिक दामों में बिकता है। अलग अलग पान बेचने वालो की अलग अलग आय होगी। अतः सरकार को श्री एन० व्ही० गाडगिल के इस सुझाव को स्वीकार करने के बारे में विचार करना चाहिए कि जो लोग आयकर नहीं देते हैं, उन्हें भी आय का विवरण देना चाहिये। इस प्रक्रिया को अपनाने से आयकर विभाग आसानी से पता लगा सकता हैं कि किसी व्यक्ति की वास्तविक आय क्या है।

आयकर पदाधिकारियों की पदोन्नति की कोई उचित पदाली नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कई आयकर अधिकारी समय से पूर्व ही सेवानिवृत्ति होकर आयकर व्यवसाय आरम्भ कर देते हैं। चूंकि उन्हें प्रत्येक बात का पूरा पता होता है अतः वे करदाताओं को करों से बचने के अनेक उपाय अपनाने को कहते हैं। इससे बड़ी मात्रा में करापवंचन होता है। सरकार को इस गंभीर समस्या पर विचार करना चाहिए।

सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए कि आयकर संबंधी विवाद न्यायाधिकरणों में न ले जा कर न्यायालयों में निर्णय के लिपे ले जाये जाने चाहिए।

सरकार को एक व्यापक कर व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे लोग कम से कम संख्या में करापवंचन कर सकें। चाहे इस कार्य में कुछ समय ही क्यों न लग जाये।

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। साधारणतः लोग आय प्रक्रिया के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। वे कानून की जटिलता को नहीं समझ पाते हैं जिससे उन्हें अनेक कठिनाइयां महसूस होती हैं और जो लोग कर देना चाहते हैं इन कठिनाइयों के कारण नहीं दे पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रशासनिक नियमों में यह व्यवस्था की जाय कि करदाताओं को यह बताया जाना चाहिए कि उन्हें कुल कितनी राशि कर के रूप में देनी है। प्रशासन का दृष्टिकोण करदाताओं के प्रति सहायतापूर्ण होना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नियम बनाने में व्यापक दृष्टिकोण अपनाये ताकि अधिक से अधिक करों की राशि वसूल हो सके।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah): I rise to support this Bill. It is a welcome feature that the notice would be served twice as provided in this Bill. But at the same time I would like to submit that the notice and other income-tax papers should he sent in Hindi so that the poor people in the villages, who do not know English, may be able to know their contents and may not seek the help of lawyers to get the needful done. Our administration is largely responsible for it. The officers and the lawyers have a common hand in it. The lawyers in complicity with the officers are deriving an undue advantage and try to mould the decisions of the officers as they like. I would request the Government to exercise strict control over the officers concerned about their wrongful dealings with the lawyers in order to put an end to such sorts of mal practices.

In the end, I would like to make one more submission. The villagers are frequently called to income tax offices in connection with their income-tax assessment cases which implies much wasteful expenditure and loss of time on the part of these people. While the amount of income-tax assessed on person comes to Rs. 5/- he has to incur a large amount on his visits to the

income-tax office. This is not proper. The villagers should not be put to so much hardship in this way and their cases should be decided on one single date given to them.

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : विधेयक पर बोलने तथा सुझाव देने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक मामले में उच्चत्तम न्यायालय ने हमारी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि के कारण करदाता के पक्ष में निर्णय किया। इस प्रकार करदाता कर देने से बच गया। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिये यह विधेयक सभा में लाना पड़ा।

विधेयक में उपबंध किया गया है कि यदि अपील के फलस्वरूप कर की राशि में कमी की जाय, तो नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। नया नोटिस इस राशि में वृद्धि की जाने पर ही दिया जायेगा। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि देय राशि के अन्तर के सबध में नोटिस दिया जाना चाहिए। हम केवल प्रक्रिया संबंध सुधार करना चाहते हैं। हमारा अभिप्राय किसी करदाता को हानि पहुंचाना नहीं है। हम किसी करदाता के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना रहे हैं। हम कानून के बजाय प्रक्रिया में परिवर्तन कर रहेहैं। मुझे आशा है कि मेरे स्पष्टीकरण से माननीय सदस्य सहमत होंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी देय राशि के बारे में कार्यवाही को जारी रखने और वैध बनाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जावे।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ७ विधेयक के अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खण्ड २ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clauses 2 to 7 were added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clause 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill.**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक

## EAST PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS' (DELHI AMENDMENT) BILL

**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम, १९४९ में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य आयुर्वेदीय तथा यूनानी चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली के रूप में एक संविहित निकाय स्थापित करना है । इसका प्रयोजन, अन्य बातों के साथ, आयुर्वेदिक वैद्यों और यूनानी हकीमों का पंजीयन तथा इन पद्धतियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना है ।

नवम्बर और दिसम्बर, १९६३ में तिबिया कालेज के छात्रों ने कुछ मांग रखी थी कि उनके कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाए । उनके डिप्लोमा को अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त हो और उनका प्रिंसीपेल ऐसा हो जो आयर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञाता हो । कालेज में हड़ताल हुई और पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई । कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी आरम्भ कर दी । तब हमारे आश्वासन पर कि इस बारे में कुछ किया जायगा उन्होंने हड़ताल बन्द कर दी । अब इस विधेयक द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के बोर्ड का काम केवल पंजीयन रखा गया है । और नया परीक्षक परीक्षाओं की व्यवस्था करेगा और पाठ्यक्रम का स्तर निर्धारित करेगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज को सम्बद्ध करने का जहां तक प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्याल को हम मना नहीं सके और वह स्वायत्तशासी है । सिवाय महाराष्ट्र के सभी राज्यों ने आदान प्रदान के आधार पर तिबिया कालेज की डिग्री को मान्यता दे दी है ।

परीक्षक निकाय यह केवल २०००० रुपये के अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम, १९४९ में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इससे यूनानी और आयुर्वदिक बोर्ड का दोहरा काम नहीं रहेगा बल्कि वह केवल चिकित्सकों का पंजीयन करेगा और परीक्षक निकाय परीक्षाएं लेगा तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा ।

उत्तर प्रदेश में पंजीयन के लिये संसद या विधान सभा के सदस्य से प्रमाणपत्र लेना पड़ता है जिससे कठिनाई होती है । क्या ऐसी व्यवस्था अन्य राज्यों में भी है ?

आयुवदिक और यूनानी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं किन्तु उन्हें बहुत कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है । क्या हमदर्द दवाखाना को तुगलकाबाद के निकट जमीन दे दी गई है ? यदि नहीं तो इतने विलम्ब का कारण क्या है ? इसी तरह ढाका शक्ति औषधालय और साधना औषधालय को भी कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धो समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

### तैंतालीसवां प्रतिवेदन

**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति को तैंतालीसवों प्रतिवेदन से जो, २९ अप्रैल, १९६४ को सभा में पुरस्थापित किया गया था सहमत हैं ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति को तैंतालीसवां प्रतिवेदन से, जो २९ अप्रैल, १९६४ को सभा में पुरस्थापित किया गया था सहमत हैं ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

---

# आय में असमानता के बारे में संकल्प

## RESOLUTION RE. DISPARITY IN INCOME

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में असमानता सम्बंधी संकल्प पर अब चर्चा होगी। श्री यादव २२ मिनट ले चुके हैं। वे अब भाषण समाप्त करें।

**Shri B. P. Yadav** ( (Resarya) : The report of the Reserve Bank tells that a loan of 30 Arabs of rupees is due from the rural population which come to rupees 400 per family. This indicates the extent of poverty. The villages have not lent the financial cooperation according to expectation. The Mahalanobis Report also reveals the state of horrible disparity of income, prevalent in India.

With these words I move the resolution.

**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को अगली दो या तीन योजना अवधियों में निम्नतम और अधिकतम आय के बीच असमानता का कम करके १:३० करने की दिशा में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए संसद सदस्यों और आर्थिक विशेज्ञों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।"

**श्री यशपाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हू।

**श्री द०शि० पाटिल** : मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : इसका समय बढ़ाया जाय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

**Shri Sarjoo Pandey** (Rasra) : I do not wish to dilate upon the figures given in the reports of the Reserve Bank and Mahalanobis Committee. The disparity between the poor and the rich is growing to horrible extent though the country is wedded to the ideal of Socialism. In some regions of U.P. people live on grass and herbs. The reports prepared by the Government regarding the progress made by the country are illusive and false. I wish that the Committee referred to in the resolution should not only investigate the state of affairs but should also bring out some suggestions to remedy the situation. With these words I support the resolution.

**Shri D. S. Patel** (Yeotmal) : I thank Shri B. P. Yadav for bringing this resolution.

The directive principles enunciated in the Constitution clearly indicate that the concentration of economic power should be checked. Moreover we have pledged for bringing socialism in the country but the Mahaanobis report says that despite our efforts and imposition of high task the economic power is being concentrated in few hands. The Banks have assisted the big and the medium Companies. The small companies with a capital of 5 lakhs of rupees and the Agriculturists have been at disadvantage and because of that there is a great disparity in the income of people. Fifty lakhs of people in the country are homeless. Today a family of five is earning rupees and the wages of one man for an hour come to 7 naiya Paisa. The Agriculturists labour

is the worst effected. Their income has come down from 109 nP. to 95 nP. in 1956-57. These are monopolistic tendencies in the economy. The second report of the Reserve Bank has revealed shocking facts regarding the loans: of rural community . They have no money for making investment in small industries and agriculture.

So I submit that a Committee should be constituted which should bring the level of disparity in income to 1:30.

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : It was for the Government to bring this resolution. We had pledged to remove poverty from India, 17 years ago. If the Government had acted with even 40 per cent of sincerity nobody in country would have starved to death whereas the Government has itself admitted that this year in the winter 31 shelter less persons had died in Delhi.

The resolutions cannot fill the bally of the hungry. A soldier fighting for the country in the difficult terrain of Ladakh gets only Rs. 62 whereas a man sitting here under electric fans get a salary of rupees 4000 per month. This disparity must go. Nobody in the country should be bought for less than rupees one hundred. In U. P more than 90000 servants earn 5 rupees a month. The people will have to rise in rebellion against the Government if they do not take solid steps to remove the disparity in income.

The indebtedness of the people should be alleviated, and they should not be charged high interest.

The Government should accept this resolution and should implement it faithfully and eradicate profiteering and corruption.

**Shri Bhagwat Jha Azad** (Bhagalpur) : Now it is an admitted fact that a wide disparity prevails in the country among different economic groups. Shri Yadav has very lucidly brought out the hollowness of the directive principles. He has rightly pointed out that the economic disparity has not been done away with despite of the implementation of Plans. Some of the objectives in the third Plan were rise in national income by 5%selfsufficiency in foodgrains expeusion of busic industries and bridging the gulf between various income groups. This is really unfortunate that on the one hand we adhere to these principles and on the other we do not apply them. It is time that the country has become a little prosperous during the plan period and the national income has also shown an upward trend but this prosperity has been confined to a few persons. A common man has felt little impact of progress. The Mahaanobis Committee's report Affirms this. The Government should have paid more attention towards fair and equitable distribution of wealth. I do not say that big building's should be demolished but I do demand that the society and all its facts should be allowed to feel and share the benefit of the country's prosperity . Though I belong to the ruling party, yet I can say that the resolutions passed by the Congress session have not yielded the lesired effect. Take an instance. The assets of Bula amounted to rupees 33 crores in the pre-independence India. The same have now swollen to more than rupees 333 crores. The profits have risen 60 % . But there is no increase in the income of Common man. The finance is selling up I.D.O. Bank. I am not opposed to it. The Government is not in a mood to hear the p'ight of the common man. Today the people want a socialist state as conceived by Shri Nehru. They are opposed to the concentration of economic power. Our Planning should be village orientated. The main problem is the development of agriculture. It is not receiving adequate attention. The rural population is engrossed in starch

poverty. The idea of selling up a monopoly Commission is welcomed but it is a matter of disapp intment that Commission has been staffed with so many officials . Why not put in non-officials public men into it.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : The Government is never tired of shouting slogans and applauding the principles of socialism. But these all talks are not going to yield socialism in the country. Thousands of people in India are living in famine stricken conditions. There is a continous stream of refugees from East Pakistan. It is shocking that with this background 60000 rupees were spent on congress session in Bhubneshwar. Rajasthan presents such a sad and melcholy picture today that words can hardly describe it. Unlsss we provide meals to the millions develop agriculture, establish small industries and better the villages no real socialism can be achieved. We seem to favour the big businessman. I these people do not come forward to help the congress party would fall a victim to it. The spirit of socialism can be appreciated better by those who work day and night and who are poor and not by those spend lakhs of rupees for fighting elections. Since the advent of freedom the foreign indebtedness has gone to the extent of rupees 75,000 crores of rupees. If you want to etablish real socialism it can be done only by providing food to the poor.

**Shri D. N. Tiwary** (Gopalganj) : Some people have nothing but to condemn the Government and the Congress Party. But this resolution is not in a position to bring socialism.

The disparity is not only among the economic groups but also among regions and states, the rural and urban areas.

Some people say that the economy should be production orientated. Several Corporations have been set up to assist the producers. But there is leck fair distribution.

It goes without saying that India is suffering from starch poverty. Mahlanobis report has also affirmed the fact that the assistance given by Corporations and the Block development Committees goes to the rich and the poor are not the least benefited by them. This leads to concentration of economic power. To day the people are in due need of food, cloth, house and facility for Education and health.

Government should take immediate steps to make available the necessaries of life to the people of this country and should give a go-by to all its tall talks. Otherwise the situation will become explosive and Government will not be able to control it.

**Shri Priya Gupta** (Katihar) : The resolution brought by Shri B. P. Yadava is very important and has a laudable object. There is acute poverty in this country. The ordinary people find it hard to make both ends meet. The prices of all essential goods have risen abnormally. The Government. pays avery low salaries to its employees and still it claims to be an ideal employer. The Bill regarding increase in the salaries and allowances of Members of Parliament was passed without much fuss, whereas Government is reluctant in raising the dearness allowance of its own employees who are very much hard pressed on account of the steep rise in prices. This kind of attitude on the

part of the Government is not good.

**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुई ।

DR. SAROJNI MAHISHI *in the Chair.*

In the labour Consultative Committee I ha' asked the Labour Minister to go to the cheapest place and pick up any 4th class family and meet their one month's requirements by personally staying there for that period. If by doing so, he finds that the salary that a 4th Class employee gets is less, then Government should raise the dearness allowance by that much amount and if, on the other hand, the expenditure happens to be less, then the Government is free to reduce the salaries of their low paid employees, This should be the actual approach for the statistics to be obtained in respect of the increase in the cost of living, The present method of arriving at the consumer prices index is faulty. I emphasised all these things in that consultative Committee and the Labour Minister kept mum.

Poverty can still be seen in its most naked form in the villages, while Government says that there has been increase in our national income. It is because of the defective distribution of national income. The proposed resolution is an absolute necessity to set this thing right. I know that this resolution is not going to be accepted by the Treasury Benches. The Government shoud not allow the situation to become explosive and make radical changes in its present economic policy without further delay and there by relieve the burden on the common man.

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री भी० प्र० यादव द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सरकार को विभिन्न आय वर्गों में व्यापक असमानता को कम करके १ : ३० के अनुपात में करने के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये । रिज़र्व बैंक के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्तता १,५०० करोड़ रु० से बढ़कर लगभग ३,००० करोड़ रु० हो गई है । इससे किसानों में व्याप्त गरीबी स्पष्ट हो जाती है । कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की दशा भी अधिक संतोषजनक नहीं है । सरकार उनकी अधिक महंगाई भत्ते की मांग को इधर उधर की बातें कह कर टालती रही है । सरकार धन के संचय का पता लगाने के लिये एक के बाद दूसरे आयोग की नियुक्ति करती रही है । परन्तु उन पर इतना अधिक पैसा खर्च करने पर भी वह उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असमर्थ रही है । विथिन बोस आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद भी सरकार ने डालमिया–जैन समूह के समवायों की जांच करने के लिये बहुत मोटी तनख्वाह पर एक निरीक्षक नियुक्त किया है जो अपना प्रतिवेदन देने में असाधारण देरी कर रहा है । यह देश के प्रति एक खिलवाड़ के अलावा और क्या हो सकता है ।

यह एक सीधा सादा संकल्प है और सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

**श्री मुथिया** (तिरुनेलवेली) : यह संकल्प सरकार की समाजवादी नीतियों के अनुरूप है । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं । सभी क्षेत्रों में, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में, समानता पर हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी बल दिया गया है और संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में भी इसका महत्व जताया गया है । हमारी योजनाओं का लक्ष्य भी आय और धन के वितरण में असमानताओं को कम करना है । महलनवीस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पिछले १० वर्षों में देश के आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप अमीर और अधिक धनवान हो गये हैं जबकि गरीबों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है और देश में एकाधिकारों की संख्या में वृद्धि हुई है । इसलिये यह बहुत

ही संतोष का विषय है कि सरकार ने धन के जमाव की जांच करने और उसे कम करने के लिये एक एकाधिकार आयोग की नियुक्ति कर दी है। गांधी जी ने भी एक वर्गरहित समाज की स्थापना का लक्ष्य अपने सामने रखा था। संसद् ने अभी हाल में जो वित्तीय विधान पास किये हैं और विभिन्न राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी जो अधिनियम पास किये हैं, वे समाजवाद की दिशा में ही एक कदम हैं।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : देश में एक ओर कुछ लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है और दूसरी ओर अधिकांश आदमी ऐसे हैं जो दयनीय दशा में हैं। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें उत्पादन ढांचे में किस प्रकार परिवर्तन करना चाहिये जिससे अधिकांश लोगों को उत्पादन का समान लाभ पहुंच सके। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कानून देर से लागू किया गया जिससे बहुत थोड़ी ही भूमि वितरण के लिये बच रही। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं दी जा सकी और उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। औद्योगिक उत्पादन भी कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में है और श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार नहीं बनाया गया है। लोगों को जो आश्वासन दिये गये थे सरकार उन्हें पूरा नहीं कर सकी है। इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि देश में व्याप्त दरिद्रता का पता लगाया जाये। देश की आय में वृद्धि हुई है, परन्तु वह कुछ ही लोगों तक सीमित रही है। यदि हमें प्राथमिक उत्पादकों को राष्ट्रीय आय का उचित लाभ पहुंचाना है तो हमें इस कार्य को सच्ची लगन से हाथ में लेना चाहिये। महलनवीस समिति के प्रतिवेदन को दृष्टि में रखते हुए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह सुझाव देता हूं कि संसद् सदस्यों सहित एक छोटी समिति बनाई जाये जो इस बात का पता लगाये कि हम ने जो उद्देश्य अपने सामने रखे हैं उनको कहां तक पूरा किया गया है।

**Shri P. L. Barupal** (Ganganagar) : I welcome the resolution moved by Shri B. P. Yadava. The Government itself should have brought forward such a resolution. There is acute poverty in the country. In Rajasthan people do not get anything to eat continuously for four days and arrangements have not been made as yet for adequate supply of drinking water there. Rajasthan is not an exception. On the other hand, there is great disparity prevailng in the whole of India. The industries are controlled by a handful of capitalists. Unless our economic policies are directed towards advancement of socialism in the country, we cannot bring about real socialism in the country. The Government professes socialism but it does not put it into practice. When Government has accepted socialism as its basic objective, it should reorient its policy to achieve that end.

The 80 or 90 percent people of this country find it hard to make both ends meet, while on the other hand, a few people play in riches. Government should, therefore, give a serious thought to this problem and constitute a Committee of able and experienced persons to conduct a survey of this problem throughout the country. The Government should accept this resolution or give an assurance of early action in this matter. Otherwise the day is not far off when the people will rise in revolt aginst the Government.

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : माननीय सदस्यों ने सदन में जो कुछ कहा है उसे मैं समझती हूं। शायद आप लोग यह चाहते होंगे कि वित्त मंत्री भी यहां होते।

[Shri P. L. Barupal]

परन्तु वह किसी बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए बाहर गये हुए हैं। आज जो विवाद हो रहा है यह बहुत ही गम्भीर प्रकार का है। आज देश के समक्ष गरीबी का प्रश्न है, और यह बात कि गरीबी को दूर करना है, ऐसी नहीं है कि जिस पर किसी प्रकार का मतभेद हो सके। गरीबी को समाप्त करने के बारे में सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं। सरकार भी इस समस्या के बारे में काफी चिन्तत है। और सरकार का विचार है कि इस दिशा में समाधान के लिए जो कुछ भी सम्भव है किया जाना चाहिए। और वह इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। सरकार इस बात के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है कि लोगों को भोजन और कपड़ा मिलना ही चाहिए। किसी भी नागरिक के लिए प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से ये चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस मूलभूत सिद्धान्त को पहिले से ही स्वीकार कर चुकी है कि आय में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। और माननीय सदस्यों को पता है कि इस सम्बन्ध में १९५६ में सभा द्वारा एक संकल्प स्वीकार किया गया था। इस संकल्प में इसी भावना को स्वीकार किया गया था। वह इस प्रकार था :—

> "सदन सरकार से इस बात की सिफारिश करता है कि उसे आय की विषमता को कम करने की दिशा में समुचित कदम उठाने चाहिए। आय के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों में देश भर में विषमता पाई जाती है।"

इस प्रश्न पर विचार करने के लिए महालानोबिस समिति की स्थापना की गयी थी। उचित आंकड़े न होने के कारण महालानोबिस समिति को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। चार वर्षों के बाद उसने अपने प्रतिवेदन का एक भाग प्रस्तुत किया है। यह ठीक है कि असमानता देश में है परन्तु इसका उपचार क्या हो यह बड़ी समस्या है। मूलभूत बात यह है कि समस्या के आकार का उचित निर्धारण किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि सरकार समस्या के प्रति जागरूक है और इसे हलके ढंग से नहीं ले रही है। इस समिति को १९६० में स्थापित किया गया और १९६४ अभी कल ही इसका प्रतिवेदन सरकार के सामने आया। क्योंकि इस कठिन समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में समय लगना जरूरी ही था। इसके पश्चात् एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई। माननीय सदस्यों को उस पर भी सन्देह था कि इसका भी लगभग यही हाल होने वाला है। परन्तु मुझे आशा है कि इसके भी अच्छे परिणाम हमारे सामने आयेंगे। एकाधिकार आयोग एकाधिकारों के सृजन के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है और आशा है कि वह कुछ अच्छे निष्कर्षों पर पहुंचेगा। इस बारे में यह आशंका करना निराधार है कि यह आयोग एक सामन्तशाही संगठन होगा। सरकार को इस बात पर भी सन्देह है कि एक समिति बना देने से, जैसी कि संकल्प में मांग की गयी है, कोई सहायता मिलेगी।

मैं यह महसूस करती हूं कि कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनकी ओर सदन को सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहिए। जैसे कि यह ठीक है कि सरकार को लाइसेंस देने की नीति का लक्ष्य आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए था। इसके साथ ही एक ओर बड़े पैमाने के उद्योगों और दूसरी ओर छोटे तथा मध्यम उद्योगों में सन्तुलन होना चाहिए था। उससे आय की असमानताओं तथा धन के जमाव को दूर करने में सहायता मिल सकती थी। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी लोगों के कल्याण के लिए काम हो।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि धन के उचित पुन: वितरण की समस्या से सरकार का उतना ही सम्बन्ध है जितना कि उत्पादन से है। वितरण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यह भी हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि बढ़ती हुई ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को अलग करके नहीं देखा जा सकता. आय कम होने के कारण देहाती लोगों पर कर्जा बढ़ रहा है। असमानताओं में १ और ३० का अनुपात है। और इसे एक ही दिन में तो पूर्ण रूप से नहीं समाप्त किया जा सकता। इसके लिए तो एक दीर्घकालीन उद्देश्य ही हो सकता है। उन्हें तुरन्त ही साफ कर देना न सम्भव है और न ठीक है। उत्प्रेरकों की आवश्यकता से असमानताओं का रहना जरूरी होगा।

सारी बातों को देखते हुए मेरा निवेदन यह है कि इस बात को देखते हुए कि सरकार को समस्या का पूरा ज्ञान है और वह इसे हल करने के लिए पूरा प्रयास भी कर रही है, अत: यह संकल्प वापिस ले लिया जाना चाहिए। सरकार इस प्रस्ताव में निहित जो भावना है उसकी सराहना करती है और उससे इस दिशा में जो कुछ बन पड़ेगा करने का आश्वासन देती है।

**Shri B. P. Yadava** (Kesaria): I express my gratitude to those honourable members of the House who participated in the debate. No body has denied that there is not an economic inequality in the country. The reply which has been given by the Deputy Finance Minister is not satisfactory. She has not stated the trends which are going towards lessening of economic inequality in the country. She has also admitted that there is poverty in the country and this inequality is increasing according to the Mahalanobis Committee. Government must pay the requisite attention towards this. I think if the recommendations of the Mahalanobis Committee are accepted, it will be for the good of the country.

I would also urge the Government to pay sufficient attention to the views expressed by different honourable members on economic inequality and try to implement them. Government must do something in this direction. I feel that we must wait till there commendedtion of Mahalanobis Committee and the monopolies Commission are before the House finally. Therefore I withdraw this resolution.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : इसके पूर्व कि हम मतदान में भाग लें। क्या बिना कमाई हुई आय को निबटाने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है ?

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस वर्ष की बजट प्रस्थापनाओं में सभा द्वारा हाल ही में यह पारित किया गया है। इन स्वीकृत करारोपण प्रस्तावों में बिना कमाई हुई आय से निबटाने के लिए उपाय सम्मिलित हैं। धन के जमाव को हटाने के लिए अन्य सभी उपाय किये जायेंगे।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : क्या सरकार की बिना कमाई आय पर भी यही सिद्धान्त लागू होगा ?

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यदि माननीय सदस्य ताने बाजी नहीं कर रहे तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि सरकारी और गैर-सरकारी में क्या अन्तर है। सरकारी धन तो पुन: ही जनता की सेवा में ही आ जाता है।

**सभापति महोदय** : इस संकल्प पर दो संशोधन हैं। संशोधन संख्या १ श्री यशपाल सिंह का है।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment No. 1 was put and negatived.**

**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या २ श्री दे० शि० पाटिल ।

**Shri D. S. Patil:** When the Resolution is being withdrawn I withdraw my amendment.

**सभापति महोदय** : क्या उन्हें संशोधन वापिस लेने की अनुमति है ?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

**संशोधन संख्या २ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।**

**The amendment No. 2 was, by leave withdrawn.**

**सभापति महोदय** : क्या संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

**श्री भो० प्र० यादव** : जी हां ।

**सभापति महोदय** : क्या उन्हें संकल्प वापिस लेने की अनुमति है ?

**माननीय सदस्य** : जी हां ।

**संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।**

**The resolution was by leave withdrawn.**

---

## शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारें में संकल्प

## RESOLUTION RE: NATIONAL POLICY IN EDUCATION

**Shri Sidheshwar Prasad** (Nalanda): Mr. Chairman, I beg to move :

"That this House is of opinion that a Committee of the members of the Parliament be appointed to go into the question of National Policy in Education in all its aspects, and to prepare a plan accordingly for the next three Plan periods and also to suggest suitable machinery for its implementation."

Together with this I move an amendment that :

"*For* Committee of the members of Parliament be substituted Education Commission."

I am presenting this resolution before the House after very nature and serious consideration. our Government are not paying adequate attention

towards education. Requisite attention is not given towards the formation of national policy in education. For the first time Government of India have accepted their responsibility towards the education, in the report of the Ministry of Education this time. This is really pilys that the Government have realized about this responsibliity very late after 17 years of Independance. In this connection the Government have also forgotten what Mahatma Gandhi said about this subject in 1937.

We have so far not declared any national policy regarding Education. Every thing is vague in this direction. There is a great discontentment amongst the students. The standard of education is going down. There is a lack of emotinal integrity and national consciousness is becoming weak and we are terribly involved in the problems of religious languages and provinces.

The country was divided, we have not been able to face still the tendences in the country which are connected with country's vivirection. We are not clear in our mind how to solve these problems. I am of the opinion that we had set up a national policy in education perhaps the results would have been quite different. We would have been able to develop our national consciousness. Without the national consciousness, we have no right to call ourselves a nation. Our energies were dissipated in fighting fissiparous tendencies. It is really a pity that the Government hadnot even examined the recommendations of the National Integration Council, not to speak of their implemention. This shows the mentality of avoiding the solution of most important national problems. This is a very sad State of affairs. And our leaders avoid facing it.

Under our constitution, it is provided that after 15 years every young boy and girl in the country will have free and compulosry education. But we had failed to formulate a cleer-cut policy regarding primary education. No commission was appointed to go into the problems of secondary and higher education. My submission is that a clear-cut policy on education was of very vital importance. There should be a uniform policy on primary education in the country. Only merits should count under such a policy that policy would ensure uniformity of development in the whole of the country.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair.*

Because according to our constitution we are pled ged for Social justice. Without providing facilities for education the whole thing becomes laughable. The Educational facilities should be available irrerpectives of caste, creed, religion, sex and Status. Until and unless you decide to give every opportunity on the basis of merits and demolish there walls of favourtism and nepotism, the democracy in the country will not be a success.

There are several problems before the country. But the most important is the fact that there should be unity in our thought word and deed. It is correctly said by W.E.F. wards in his book educating young nations that education is a powerful means of social change. Therefore it is very necessary that the steps should be taken as early as possible to formulate the national education policy.

[ Shri Sidheshwar Prashad ]

Together with that I would also like to draw the attention of House to this fact that Government have not been able to implement the recommendation of several high ranking Committees in this connection since 1943-44. It is really a pity that the Government still held that the regional languages could not become media of instruction at the university stage. Educationist like Dr. Kothari are of the opinion that it is wrong to suppose that the retention of English was a necessity. Mahatma Ghandhi was also against the retention of English. One prominent member of planning Commission Dr. V. K. R. V. Rao also expressed his opinion that there is no strong argument in favour of making the English, the medium of instruction in the Indian Universities.

**Deputy Speaker** : The Honorable member may continue his speek tomorrow on the next day.

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार ४ मई, १९६४/
वैशाख १४, १८८६ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday the 4th May 1964/Vaisakha 14, 1886, (Saka).**